AXIS BANK

महत्वपूर्ण
नियम और शर्तें

सबसे महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें तथा इसमें दी गई सभी जानकारी सभी क्रेडिट कार्ड धारकों/क्रेडिट कार्ड आवेदकों/बैंक के ग्राहकों/बैंक के क्रेडिट कार्ड उत्पाद में रुचि दिखाने वाले आम जनता पर तत्काल प्रभाव से लागू होगी। MITC में परिवर्तन हो सकता है। उक्त MITC बैंक के कार्डधारक समझौते के नियमों और शर्तों के अतिरिक्त हैं तथा उन्हें उसी साथ ही पढ़ा जाना चाहिए।

अ) प्रभारों की अनुसूची

1. जॉइनिंग, वार्षिक और एड-ऑन कार्ड शुल्क

क्रेडिट कार्ड का प्रकार	जॉइनिंग शुल्क (INR) (कार्ड एक्टिवेशन के बाद लगाया जाएगा)*	वार्षिक शुल्क दूसरे वर्ष से (INR)*	एड-ऑन कार्ड
एक्सिस बैंक इनफिनिट क्रेडिट कार्ड	शून्य	शून्य	शून्य
एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड	750	750	शून्य
इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड	500	500	शून्य
फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड	500	500	शून्य
फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड	500	500 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 3,50,000 रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य

एक्सिस बैंक फ्रीचार्ज क्रेडिट कार्ड	250	250	शून्य
एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड	500	500 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 2,00,000 रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य
सैमसंग एक्सिस बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड	500	500 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 2,00,000 रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य
सैमसंग एक्सिस बैंक इनफिनिट क्रेडिट कार्ड	5000	5000 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 7,00,000 रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य
एक्सिस बैंक फ्रीचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड	350	350 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 50000 रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य
एस क्रेडिट कार्ड	499 रुपये (कार्ड सेट-अप के 45 दिनों के भीतर 10000 रुपये के खर्च पर छूट) 0 रुपये - चुनिंदा चैनलों पर	499 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 2,00,000 रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य

	सीमित समय के लिए ऑफ़र		
स्पाइसजेट एक्सिस बैंक वॉयेज क्रेडिट कार्ड	750	750	शून्य
स्पाइसजेट एक्सिस बैंक वॉयेज ब्लैक क्रेडिट कार्ड	2,000	2,000	शून्य
सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड	3,000 (बरगंडी खाताधारकों के लिए शून्य)	3,000 (बरगंडी खाताधारकों के लिए शून्य) (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 8 लाख रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य
एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड	5,000	5,000	शून्य
बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड	50,000 (बरगंडी प्राइवेट खाताधारकों के लिए शून्य)	50,000 (बरगंडी प्राइवेट खाताधारकों के लिए शून्य)	शून्य
रिज़र्व क्रेडिट कार्ड	50,000	50,000 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 35,00,000 रुपये के योग्य खर्च* पर छूट)	शून्य

मैग्नस क्रेडिट कार्ड	12,500	12,500 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 25,00,000 रुपये के योग्य खर्च* पर छूट)	शून्य
मैग्नस फॉर बरगंडी क्रेडिट कार्ड#	30,000#	30,000# (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 30,00,000 रुपये के योग्य खर्च* पर छूट)	शून्य#
एक्सिस बैंक विस्तारा इनफिनिट क्रेडिट कार्ड	10,000	10,000	शून्य
एक्सिस बैंक विस्तारा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड	3,000	3,000	शून्य
एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड	1,500	1,500	शून्य
प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड	1,500	1,500 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 5 लाख रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य
माइल्स एंड मोर एक्सिस बैंक वर्ल्ड सेलेक्ट कार्ड	10,000	4,500	शून्य

माइल्स एंड मोर एक्सिस बैंक वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड	3,500	3,500	शून्य
नियो क्रेडिट कार्ड	250	250	शून्य
ऑरा क्रेडिट कार्ड	749	749	शून्य
एलआईसी क्रेडिट कार्ड	शून्य	शून्य	शून्य
यात्रा लाभ के साथ सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड	1,500	1,000 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 2.4 लाख रुपये की व्यय सीमा प्राप्त करने पर माफ़ किया गया)	शून्य
माई विंग्स क्रेडिट कार्ड	1,200	500	शून्य
माई चॉइस क्रेडिट कार्ड	250 (इमेज कार्ड के लिए शुल्क अतिरिक्त 150 रुपये है)	250	शून्य
माई ज़ोन क्रेडिट कार्ड	500	500	शून्य

प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड	500 रुपये (कार्ड सेट-अप के 45 दिनों के भीतर 5000 रुपये के खर्च पर छूट)	200 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 1,00,000 रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य
टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड	250 रुपये (कार्ड सेट-अप के 45 दिनों के भीतर 2,500 रुपये के खर्च पर छूट)	100 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 50,000 रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य
प्राइड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड	शून्य	250 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 20,000 रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य
प्राइड सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड	शून्य	500 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 40,000 रुपये के खर्च पर छूट)	शून्य
रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड	1000	1,000 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 2,00,000 रुपये के खर्च पर छूट)* यह उन ग्राहकों के लिए लागू है जिन्होंने 01 मार्च 2023 को या उसके बाद एक्सिस बैंक	शून्य

		रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है और उन्हें कार्ड जारी किया गया है।	
क्विक क्रेडिट कार्ड	शून्य	शून्य	शून्य
फाइब एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड,	शून्य	शून्य	शून्य
एक्सिस बैंक ईज़ी गोल्ड - वेतनभोगी और एक्सिस बैंक ईज़ी गोल्ड क्रेडिट कार्ड - स्वरोजगार	शून्य	100	शून्य
एक्सिस बैंक शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड	500	500 (पिछले वर्ष में 1,00,000 रुपये के व्यय पर छूट)	शून्य
इंडियानॉयल एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड	1,000	1,000 (पिछले वर्ष में 30,000 रुपये के व्यय पर छूट)	शून्य
एक्सिस बैंक होराइजन क्रेडिट कार्ड	3,000	3,000	शून्य
एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड	1,000	1,000 (पिछले कार्ड एनिवर्सरी वर्ष में 4,00,000 रुपये के योग्य खर्च* पर छूट)	शून्य

		मौजूदा कैशबैक क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए यह छूट लागू नहीं है और शुल्क ऑनबोर्डिंग पर बताए गए अनुसार है)	
एक्सिस बैंक द्वारा IKEA फैमिली क्रेडिट कार्ड	शून्य	शून्य	शून्य
एक्सिस बैंक ओलंपस क्रेडिट कार्ड	20,000	20,000	शून्य
एक्सिस बैंक प्राइमस क्रेडिट कार्ड	5,00,000 (31 जुलाई 2024 के बाद जारी किए गए कार्ड के लिए) 1,80,000 (31 जुलाई 2024 तक जारी किए गए कार्ड के लिए)	3,00,000 (31 जुलाई 2024 के बाद जारी किए गए कार्ड के लिए) 1,80,000 (31 जुलाई 2024 तक जारी किए गए कार्ड के लिए)	1 कार्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्रत्येक बाद के एड-ऑन कार्ड के लिए (4 तक): 25,000 (31 जुलाई 2024 के बाद जारी किए गए कार्ड के लिए) 15,000 (31 जुलाई 2024 के बाद जारी किए गए कार्ड के लिए)

*रिज़र्व, मैग्नस और मैग्नस फॉर बरगंडी क्रेडिट कार्ड के लिए, 1 सितंबर 2023 से प्रभावी, वार्षिक शुल्क प्रतिवर्तन के लिए व्यय सीमा में किराया (MCC-6513), वॉलेट (MCC-6540), उपयोगिताएँ (MCC-4814,4816,4899,4900), सरकारी संस्थान (MCC-9222, 9311,9399, 9402), EMI रूपांतरण, नकद निकासी (MCC-6010,6011), प्रतिवर्तन और शुल्क और प्रभार के माध्यम से पहचाने गए लेनदेन शामिल नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, 20 अप्रैल 2024 से प्रभावी, वार्षिक शुल्क वापसी के लिए व्यय सीमा में बीमा (MCC-6300, 6381, 5960, 6051, 6012), सोना (MCC-5094, 5944) और ईंधन (MCC-5541, 5542, 5983) के माध्यम से पहचाने गए लेनदेन भी शामिल नहीं होंगे।

#केवल बरगंडी ग्राहकों के लिए लागू है जो अपेक्षित व्यक्तिगत बरगंडी संबंध बनाए रखते हैं। अधिक जानकारी के लिए, https://www.axisbank.com/Magnus पर जाएँ। बरगंडी के लिए मैग्नस क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करके, आप बैंक की उस नीति से भी सहमत होते हैं जिसके तहत ग्राहक द्वारा अपेक्षित बरगंडी 'टोटल रिलेशनशिप वैल्यू' मानदंड को पूरा न किए जाने की स्थिति में बरगंडी के लिए मैग्नस क्रेडिट कार्ड को नए मैग्नस क्रेडिट कार्ड से प्रतिस्थापित किया जाएगा। नए मैग्नस क्रेडिट कार्ड पर INR 12,500++ की जॉइनिंग और वार्षिक फीस भी लगेगी।

वित्त / ब्याज शुल्क (20 दिसंबर 2024 से प्रभावी)

एक्सिस बैंक कार्ड वेरियंट	विस्तारित ऋण पर अतिदेय ब्याज		नकद अग्रिम पर ब्याज	
	मासिक दर	वार्षिक दर	मासिक दर	वार्षिक दर
बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड	1.5 प्रति माह	19.56% प्रति वर्ष	1.5 प्रति माह	19.56% प्रति वर्ष
प्राइड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, प्राइड सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड	3.75% प्रति माह	55.55% प्रति वर्ष	3.75% प्रति माह	55.55% प्रति वर्ष
प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड / सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड / एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड /माइल्स एंड मोर एक्सिस बैंक वर्ल्ड सेलेक्ट कार्ड / माइल्स एंड मोर एक्सिस बैंक वर्ल्ड कार्ड / माई ज़ोन क्रेडिट कार्ड / माई चॉइस क्रेडिट कार्ड /माई विंग्स क्रेडिट कार्ड / एक्सिस बैंक विस्तारा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड /	3.75% प्रति माह	55.55% प्रति वर्ष	3.75% प्रति माह	55.55% प्रति वर्ष

एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड / प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड / टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड / नियो क्रेडिट कार्ड / एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड / वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड / वीज़ा सिल्वर क्रेडिट कार्ड / इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड / एक्सिस बैंक विस्तारा इनफिनिट क्रेडिट कार्ड/ ऑरा क्रेडिट कार्ड / एलआईसी क्रेडिट कार्ड / रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड / क्विक क्रेडिट कार्ड / एक्सिस बैंक शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड / इंडियानॉयल एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड / एक्सिस बैंक होराइजन क्रेडिट कार्ड/ एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड				
रिज़र्व क्रेडिट कार्ड / मैग्नस क्रेडिट कार्ड / मैग्नस फॉर बरगंडी क्रेडिट कार्ड / ओलंपस क्रेडिट कार्ड	3.0% प्रति माह	42.58% प्रति वर्ष	3.0% प्रति माह	42.58% प्रति वर्ष
फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड / फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड एक्सिस एक्सिस बैंक फ्रीचार्ज क्रेडिट कार्ड / एक्सिस बैंक फ्रीचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड / एस क्रेडिट कार्ड / एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड / स्पाइसजेट एक्सिस बैंक वॉयेज क्रेडिट कार्ड / स्पाइसजेट एक्सिस बैंक वॉयेज	3.75% प्रति माह	55.55% प्रति वर्ष	3.75% प्रति माह	55.55% प्रति वर्ष

ब्लैक क्रेडिट कार्ड / सैमसंग एक्सिस बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड / सैमसंग एक्सिस बैंक इनफिनिट क्रेडिट कार्ड /फाइब एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक द्वारा IKEA फैमिली क्रेडिट कार्ड/ अन्य सभी क्रेडिट कार्ड				
सिक्योर्ड गोल्ड क्रेडिट कार्ड / सिक्योर्ड सिल्वर क्रेडिट कार्ड / प्लेटिनम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड / इंस्टा ईज़ी क्रेडिट कार्ड / माय ज़ोन ईज़ी क्रेडिट कार्ड / प्रिविलेज ईज़ी क्रेडिट कार्ड / एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड / इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक ईज़ी क्रेडिट कार्ड / एक्सिस बैंक ईज़ी गोल्ड - वेतनभोगी और एक्सिस बैंक ईज़ी गोल्ड क्रेडिट कार्ड - स्वरोज़गार	3.4% प्रति माह	49.36% प्रति माह	3.4% प्रति माह	49.36% प्रति वर्ष
एक्सिस बैंक प्राइमस क्रेडिट कार्ड	1% प्रति माह	12.68% प्रति माह	1% प्रति माह	12.68% प्रति माह

1) वित्त / ब्याज शुल्क विवरण :

- यदि कार्डधारक भुगतान की देय तिथि (कार्ड स्टेटमेंट के अनुसार) तक पिछला बिल पूरा नहीं चुकाता है तो उस पर ब्याज लगाया जाएगा। ब्याज लेनदेन की तिथि से लेकर बकाया राशि के पूर्ण निपटान की तिथि तक लगाया जाता है।
- यदि कार्डधारक रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा का उपयोग कर रहा है, तो पिछले स्टेटमेंट से बकाया शेष राशि और किसी भी नए लेनदेन (क्रेडिट कार्ड पर ऋण के

लिए किसी भी बिल किए गए ईएमआई सहित) पर कुल देय राशि के पूर्ण भुगतान की तिथि तक ब्याज लगेगा।

- निकासी की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक सभी नकद अग्रिमों पर ब्याज लगाया जाएगा।
- शुल्क, प्रभार और जीएसटी पर ब्याज नहीं लगेगा। ग्राहक द्वारा शुरू किए गए खर्च, लगाए गए ब्याज और ईएमआई पर ब्याज लगता रहेगा।

2) अन्य शुल्क और प्रभार

नकद निकासी शुल्क**	नकद राशि का 2.5% (न्यूनतम 500 रुपये); नकद राशि का 2% (न्यूनतम 300 रुपये); ओलंपस क्रेडिट कार्ड के लिए बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, रिज़र्व क्रेडिट कार्ड, मैग्नस क्रेडिट कार्ड और मैग्नस फॉर बरगंडी क्रेडिट कार्ड, प्राइमस क्रेडिट कार्ड के लिए माफ किया गया
शाखाओं में नकद भुगतान के लिए शुल्क (नकद भुगतान के लिए दैनिक सीमा 50,000 रुपये है)	175 रुपये; बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड और इंस्टा ईज़ी क्रेडिट कार्ड, प्राइमस क्रेडिट कार्ड के लिए माफ किया गया
डुप्लिकेट स्टेटमेंट शुल्क	माफ़ किया गया
बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, प्राइमस क्रेडिट कार्ड के लिए विलंबित भुगतान शुल्क	माफ़ किया गया
ओलंपस क्रेडिट कार्ड के लिए विलंबित भुगतान शुल्क	यदि कुल देय भुगतान 2,000 रुपये से अधिक है तो 100 रुपये
अन्य सभी क्रेडिट कार्डों के लिए विलंब भुगतान शुल्क	यदि कुल देय भुगतान 500 रुपये तक है तो शून्य
	यदि कुल देय भुगतान 501 रुपये से 5,000 रुपये के बीच है तो 500 रुपये
	यदि कुल देय भुगतान 750 रुपये से 5,001 रुपये के बीच है तो 10,000 रुपये

	यदि कुल देय भुगतान 10,000 रुपये से अधिक है तो 1,200 रुपये
	लगातार दो चक्रों के लिए देय तिथि तक न्यूनतम देय राशि (MAD) का भुगतान न करने पर अतिरिक्त 100 रुपये। यह शुल्क प्रत्येक भुगतान चक्र पर तब तक लागू रहेगा जब तक कि MAD का भुगतान नहीं हो जाता
अन्य एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए ओवर-लिमिट पेनल्टी***	ओवर-लिमिट राशि का 2.5% (ब्याज, शुल्क, प्रभार और करों को छोड़कर) न्यूनतम 500 रुपये के अधीन बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, प्राइमस क्रेडिट कार्ड के लिए माफ किया गया
चार्ज स्लिप रिट्रीवल शुल्क या कॉपी अनुरोध शुल्क	माफ़ किया गया
आउटस्टेशन चेक शुल्क	माफ़ किया गया
चेक वापसी या अनादर शुल्क या ऑटो डेबिट रिवर्सल या स्थायी निर्देश (SI) या एनएसीएच भुगतान विफलता (बैंक खाते में धनराशि नहीं है)	भुगतान राशि का 2% न्यूनतम 500 रुपये के अधीन। बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, प्राइमस क्रेडिट कार्ड के लिए माफ किया गया ओलंपस क्रेडिट कार्ड के लिए 350 रुपये
रेलवे टिकट की खरीद या रद्द करने पर अधिभार	आईआरसीटीसी/भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित
ईंधन लेनदेन अधिभार	लेनदेन राशि का 1% (ईंधन लेनदेन के लिए वापस किया गया) 400 रुपये से 4,000 रुपये के बीच। प्रति स्टेटमेंट साइकिल अधिकतम 400 रुपये तक का लाभ; एस क्रेडिट कार्ड के लिए 500 रुपये तक; एक्सिस बैंक माय ज़ोन क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक माय ज़ोन इज़ी क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक माय ज़ोन इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक प्राइड सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, फाइब एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, सैमसंग

	एक्सिस बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड; केवल एक्सिस बैंक द्वारा प्राइड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक ऑरा क्रेडिट कार्ड और IKEA फैमिली क्रेडिट कार्ड के लिए 250 रुपये तक। माइल्स एंड मोर एक्सिस बैंक वर्ल्ड सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, माइल्स एंड मोर एक्सिस बैंक वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड, माय चॉइस क्रेडिट कार्ड, नियो क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक विस्तारा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक फ्रीचार्ज क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक फ्रीचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड पर रिफंड लागू नहीं है; लेनदेन राशि का 1% (400 रुपये से 5,000 रुपये के बीच ईंधन लेनदेन के लिए वापस किया जाता है। सैमसंग एक्सिस बैंक इनफिनिट क्रेडिट कार्ड, ओलंपस क्रेडिट कार्ड के लिए प्रति स्टेटमेंट साइकिल अधिकतम 500 रुपये तक का लाभ); लेनदेन राशि का 1% (400 रुपये से 5,000 रुपये के बीच ईंधन लेनदेन के लिए वापस किया जाएगा।) रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक होराइज़न क्रेडिट कार्ड के लिए प्रति स्टेटमेंट साइकिल अधिकतम 400 रुपये तक का लाभ लेनदेन राशि का 1% (PRIMUS क्रेडिट कार्ड के लिए प्रति स्टेटमेंट चक्र 400 रुपये से 10,000 रुपये के बीच ईंधन लेनदेन के लिए वापस किया जाता है)

	इंडियनऑयल एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्डधारक लेनदेन राशि का 1% पाने के पात्र हैं। (केवल अधिकृत इंडियनऑयल आउटलेट्स पर) **कृपया ध्यान दें –** • ईंधन लेनदेन पर, कार्ड जारी करने वाले बैंक द्वारा ईंधन अधिभार नहीं लगाया जाता है • कुछ ईंधन लेनदेन पर, ईंधन अधिभार 1% + जीएसटी के बजाय 10 रुपये + जीएसटी के रूप में लगाया जा सकता है। ग्राहक को प्रदान की जाने वाली ईंधन अधिभार छूट क्रेडिट कार्ड पर संबंधित मूल्य प्रस्ताव/सुविधा के अनुसार होगी, चाहे अधिभार कुछ भी हो। • ईंधन अधिभार (यदि कोई हो) पर लगाए गए कर माफ नहीं किए जाएंगे और इसका भुगतान कार्डधारक को करना होगा
एज रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन शुल्क	प्रति रिडेम्पशन लेनदेन पर 99 रुपये
	बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, प्रायोरिटी प्लेटिनम डेबिट कार्ड, बरगंडी डेबिट कार्ड, बरगंडी प्राइवेट डेबिट कार्ड, रुपे प्लेटिनम एनआरओ डेबिट कार्ड, बरगंडी एनआरओ डेबिट कार्ड या बरगंडी प्राइवेट एनआरओ डेबिट कार्ड, इंडियनऑयल एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक होराइज़न क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक द्वारा IKEA फैमिली क्रेडिट कार्ड,

	एक्सिस बैंक ओलंपस क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक प्राइमस क्रेडिट कार्ड रखने वाले कार्डधारकों के लिए छूट दी गई है।
एज माइल्स पॉइंट रिडेम्पशन शुल्क	एज पॉइंट/मील को अन्य मील पार्टनर में बदलने/स्थानांतरित करने पर प्रति रिडेम्पशन लेनदेन 199 रुपये कार्डधारकों के लिए छूट, बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, इंडियनऑयल एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक होराइज़न क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक द्वारा IKEA फैमिली क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक ओलंपस क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक प्राइमस क्रेडिट कार्ड
विदेशी मुद्रा लेनदेन शुल्क[1]	मैग्नस क्रेडिट कार्ड और मैग्नस फॉर बरगंडी क्रेडिट कार्ड के लिए लेनदेन मूल्य का 2%; ओलंपस क्रेडिट कार्ड के लिए लेनदेन मूल्य का 1.8%; रिज़र्व क्रेडिट कार्ड के लिए लेनदेन मूल्य का 1.5%; बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के लिए शून्य; प्राइमस क्रेडिट कार्ड के लिए अन्य सभी कार्डों के लिए लेनदेन मूल्य का 3.50% माफ किया गया
गतिशील मुद्रा रूपांतरण मार्कअप[2]	अंतरराष्ट्रीय स्थान पर भारतीय मुद्रा में किए गए प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या भारत में स्थित लेकिन विदेशी राष्ट्र में पंजीकृत व्यापारियों के साथ भारतीय मुद्रा में किए गए लेनदेन पर 1.5% अतिरिक्त कर लागू होगा।

	बरगंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, ओलंपस क्रेडिट कार्ड, प्राइमस क्रेडिट कार्ड के लिए शून्य
किराये का लेनदेन शुल्क[3]	प्रत्येक किराये के लेनदेन पर 1% शुल्क लागू होगा। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर लागू होंगे। ओलंपस क्रेडिट कार्ड, प्राइमस क्रेडिट कार्ड के लिए शून्य
वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन शुल्क[4] (20 दिसंबर 2024 से लागू)	प्रति स्टेटमेंट साइकिल में वॉलेट लोड पर 10,000 रुपये या उससे अधिक के संचयी खर्च पर 1% शुल्क लागू होगा
फ्यूल ट्रांज़ेक्शन शुल्क[5] (20 दिसंबर 2024 से लागू)	प्रति स्टेटमेंट साइकिल में ईंधन लेनदेन पर 50,000 रुपये या उससे अधिक के संचयी खर्च पर 1% शुल्क लागू होगा
शिक्षा लेनदेन शुल्क[6] (20 दिसंबर 2024 से लागू)	तीसरे पक्ष के एप के माध्यम से किए गए शिक्षा भुगतान पर प्रति लेनदेन 1% शुल्क लागू होगा
उपयोगिता लेनदेन शुल्क[7] (20 दिसंबर 2024 से लागू)	प्रति स्टेटमेंट साइकिल में उपयोगिताओं पर 25,000 रुपये या उससे अधिक के संचयी व्यय पर 1% शुल्क लागू होगा

ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग लेनदेन शुल्क[8] (20 दिसंबर 2024 से लागू)	ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर 10,000 रुपये या उससे अधिक के संचयी खर्च पर 1% शुल्क लागू होगा
लेनदेन के लिए मोबाइल अलर्ट	माफ़ किया गया
हॉट लिस्टिंग शुल्क	माफ़ किया गया
शेष राशि पूछताछ शुल्क	माफ़ किया गया
प्रतिस्थापन शुल्क	माफ़ किया गया

नोट : i) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जीएसटी सभी शुल्कों, ब्याज और अन्य शुल्कों पर लागू है, और भारत सरकार के प्रासंगिक नियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

ii) बैंक को समय-समय पर किसी भी प्रभार या फीस में परिवर्तन करने या कोई नया प्रभार या फीस लागू करने का अधिकार है, जैसा कि वह उचित समझे, जिसकी सूचना ग्राहक को कम से कम एक महीने पहले देनी होगी।

***विलंबित भुगतान शुल्क:** यदि देय तिथि तक कोई भुगतान नहीं किया गया है या न्यूनतम देय राशि से कम भुगतान प्राप्त हुआ है तो कार्डधारक से विलंबित भुगतान शुल्क लिया जाएगा। विलंबित भुगतान शुल्क से बचने के लिए, भुगतान की देय तिथि पर या उससे पहले एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड खाते में स्पष्ट धनराशि जमा करनी होगी।

विलंबित भुगतान शुल्क केवल बकाया राशि (देय तिथि से पहले प्राप्त किसी भी भुगतान को घटाकर) पर लगाया जाएगा, न कि कुल राशि पर।

****नकद निकासी शुल्क:** कार्डधारक भारत या विदेश में एटीएम से नकदी निकालने के लिए एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकता है, जो क्रेडिट कार्ड आवेदन के समय चुनी गई उनकी उपयोग वरीयता पर निर्भर करता है, उक्त एटीएम पर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की अनुकूलता के अनुसार। उपरोक्त उल्लिखित प्रभारों के अनुसार ऐसी निकासी पर लेनदेन शुल्क लगाया जाएगा तथा अगले स्टेटमेंट में कार्डधारक को बिल भेजा जाएगा। ये शुल्क केवल बैंक शुल्क हैं। कुछ एटीएम पर निकासी शुल्क लगाया जाएगा, जो बैंक से जुड़ा नहीं होगा।

*****अतिरिक्त सीमा शुल्क:** बैंक कार्डधारक द्वारा किए गए कुछ लेनदेन को मंज़ूरी दे सकता है जो आंतरिक नीति, लेनदेन के संबंध में पात्रता, ग्राहक प्रोफ़ाइल और ग्राहक की सहमति के अधीन क्रेडिट सीमा से अधिक है। यदि बकाया राशि क्रेडिट सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त सीमा शुल्क का 2.5% (न्यूनतम 500 रुपये के अधीन) ओवर

लिमिट-फ़ी लगाया जाएगा। अतिरिक्त सीमा शुल्क की गणना करने के लिए क्रेडिट कार्ड पर ब्याज, कोई शुल्क/फीस, कर को शामिल नहीं किया जाएगा। बैंक ओवर लिमिट सुविधा की सदस्यता लेने वाले कार्डधारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त करेगा।

[1]**विदेशी मुद्रा में शुल्क:** यदि कोई लेनदेन भारतीय रुपये के अलावा किसी अन्य मुद्रा में किया जाता है, तो उस लेनदेन को भारतीय रुपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यह रूपांतरण उस तारीख को होगा जिस दिन एक्सिस बैंक के साथ लेनदेन का निपटान किया जाएगा, जो लेनदेन की तारीख नहीं भी हो सकती है। यदि लेन-देन अमेरिकी डॉलर में नहीं है, तो रूपांतरण अमेरिकी डॉलर के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें चार्ज की गई राशि को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाएगा और फिर अमेरिकी डॉलर की राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा। जब तक लागू कानून द्वारा किसी विशिष्ट दर की आवश्यकता न हो, अमेरिकी डॉलर से भारतीय रुपये में रूपांतरण दर, निपटान तिथि पर, वीज़ा/मास्टरकार्ड द्वारा प्रदान की गई दरों पर होगी, जो ऐसे लेनदेन पर मुद्रा रूपांतरण कारक मूल्यांकन (वर्तमान में 3.50%) द्वारा बढ़ाई जाएगी।

ग्राहक द्वारा किए गए ऐसे विदेशी लेनदेन की वापसी पर भी अतिरिक्त 3.5% शुल्क लगेगा।

[2]**डायनेमिक करेंसी कन्वर्ज़न मार्क-अप:** DCC के साथ, ग्राहक भारतीय मुद्रा का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय लेनदेन कर सकता है। हालाँकि, विदेशी व्यापारी को भारतीय रुपये में भुगतान करते समय, लेनदेन राशि पर 1.5% का DCC मार्क-अप शुल्क और कर लगाया जाएगा। DCC POS या ऑनलाइन से किए गए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर लागू होता है, चाहे वह विदेश में हो या भारत में स्थित लेकिन विदेशी राष्ट्र में पंजीकृत व्यापारी के साथ। उदाहरण - यदि आपने किसी विदेश में किसी स्टोर पर खरीदारी की है और भुगतान आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से POS मशीन पर भारतीय रुपये में किया गया है, तो लेनदेन राशि पर 1.5% का DCC मार्क-अप शुल्क और कर लगाया जाएगा। इसी प्रकार, यदि आपने विदेश में पंजीकृत किसी व्यापारी से भारत में खरीदारी की है और भुगतान आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से भारतीय रुपये में किया गया है, तो लेनदेन राशि पर 1.5% का DCC मार्क-अप शुल्क और कर लगाया जाएगा।

[3]**किराया लेनदेन शुल्क:** MCC 6513 के माध्यम से पहचाने गए प्रत्येक किराया भुगतान के लिए, लेनदेन राशि पर प्रति लेनदेन 1% का किराया अधिभार शुल्क लगाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर लागू होंगे। उदाहरण के लिए - यदि आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किसी तीसरे पक्ष के किराया भुगतान प्लेटफॉर्म पर 20,000 रुपये का भुगतान करते हैं, तो लेनदेन राशि का 1% यानी 200 रुपये और कर अधिभार शुल्क के रूप में लिया जाएगा। यह प्रत्येक लेनदेन पर लागू होता है।

[4]**वॉलेट लोड ट्रांज़ेक्शन शुल्क:** MCC 6540 के माध्यम से पहचाने गए वॉलेट लोड ट्रांज़ेक्शन के लिए, यदि स्टेटमेंट साइकिल में वॉलेट ट्रांज़ेक्शन पर संचयी खर्च 10,000 रुपये या उससे अधिक है, तो 1% का अधिभार शुल्क लगाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार कर लागू होंगे। उदाहरण के लिए - एक स्टेटमेंट साइकिल में, यदि आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके वॉलेट ट्रांज़ेक्शन पर आपका कुल खर्च (सभी ट्रांज़ेक्शन का संचयी) 12,000 रुपये है, तो ट्रांज़ेक्शन राशि का 1% यानी 120 रुपये और कर, अधिभार शुल्क के रूप में लिया जाएगा। यदि किसी विशेष स्टेटमेंट साइकिल में वॉलेट ट्रांज़ेक्शन पर आपका संचयी खर्च 9000 रुपये है, तो कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

[5]**ईंधन लेनदेन शुल्क:** प्रति स्टेटमेंट साइकिल में ईंधन लेनदेन पर 50,000 रुपये या उससे अधिक के संचयी खर्च पर 1% शुल्क लागू होगा। ईंधन लेनदेन की पहचान MCC 5983, 5541, 5542 और 5172 के माध्यम से की जाती है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार कर लागू होंगे। उदाहरण के लिए - एक स्टेटमेंट साइकिल में, यदि आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ईंधन लेनदेन पर आपका कुल खर्च (सभी लेनदेन का संचयी) 50,000 रुपये है, तो लेनदेन राशि का 1% यानी 500 रुपये प्लस कर अधिभार शुल्क के रूप में लिया जाएगा। यदि किसी विशेष स्टेटमेंट साइकिल में वॉलेट लेनदेन पर आपका संचयी खर्च 30,000 रुपये है, तो कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

[6]**शिक्षा लेनदेन शुल्क:** MCC 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299 के माध्यम से पहचाने जाने वाले प्रत्येक शिक्षा भुगतान के लिए, जैसे कि थर्ड पार्टी एप के माध्यम से किए गए, लेनदेन राशि पर 1% का अधिभार शुल्क लगाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर लागू होंगे। उदाहरण के लिए - यदि आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किसी थर्ड पार्टी एजुकेशन पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म पर 10,000 रुपये का भुगतान करते हैं, तो लेनदेन राशि का 1% यानी 100 रुपये और कर, अधिभार शुल्क के रूप में लिया जाएगा। यह प्रत्येक लेनदेन पर लागू होता है। शिक्षा संस्थानों की वेबसाइटों या उनकी POS मशीनों के माध्यम से सीधे किए गए भुगतान और लेनदेन पर यह शुल्क नहीं लगेगा।

[7] **यूटिलिटी ट्रांज़ेक्शन शुल्क :** प्रति स्टेटमेंट साइकिल यूटिलिटी भुगतान पर 25,000 रुपये या उससे अधिक के संचयी खर्च पर 1% शुल्क लागू होगा। यूटिलिटी पर लेनदेन 4814, 4899, 4900 के माध्यम से पहचाने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर लागू होंगे। उदाहरण के लिए - एक स्टेटमेंट साइकिल में, यदि आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके यूटिलिटी बिल भुगतान पर आपका कुल खर्च (सभी लेनदेन का संचयी) 25,000 रुपये है, तो लेनदेन राशि का 1% यानी 250 रुपये और कर, अधिभार शुल्क के रूप में लिया जाएगा। यदि किसी विशेष स्टेटमेंट साइकिल में वॉलेट लेनदेन पर आपका संचयी खर्च 20,000 रुपये है, तो कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

[8] **ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग लेनदेन शुल्क:** MCC 5816 के माध्यम से पहचाने जाने वाले ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग लेनदेन के लिए, यदि किसी स्टेटमेंट साइकिल में लेनदेन पर संचयी खर्च 10,000 रुपये या उससे अधिक है, तो 1% का अधिभार शुल्क लगाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर लागू होंगे। उदाहरण के लिए - एक स्टेटमेंट साइकिल में, यदि आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड (सभी लेनदेन का संचयी) का उपयोग करके ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आपका कुल खर्च 12,000 रुपये है, तो लेनदेन राशि का 1% यानी 120 रुपये और कर, अधिभार शुल्क के रूप में लिया जाएगा। यदि किसी विशेष स्टेटमेंट साइकिल में वॉलेट लेनदेन पर आपका संचयी खर्च 8000 रुपये है, तो कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

ए) ब्याज गणना के लिए उदाहरण (20 दिसंबर 2024 से प्रभावी):

ग्राहक द्वारा रिवॉल्विंग सुविधा का उपयोग करने के दौरान किए गए सभी लेन-देन पर ब्याज लगाया जाता है (उसके पास रिवॉल्विंग क्रेडिट है और उसने पिछले महीने में कुल देय राशि से कम भुगतान किया है)। इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

- स्टेटमेंट साइकिल – हर महीने की 12 से 11 तारीख तक
- स्टेटमेंट जनरेशन तिथि – हर महीने की 11 तारीख
- ब्याज दर – 3.75% प्रति माह

साइकिल 1: 12 मार्च से 11 अप्रैल
मान लीजिए कि आपने सभी पिछले बकाये का पूरा भुगतान कर दिया है और आपके क्रेडिट कार्ड खाते में कोई भी राशि बकाया नहीं है। मान लीजिए कि 30 मार्च को 500 रुपये की खरीदारी की जाती है और उसके बाद 2 अप्रैल को 4,000 रुपये की नकद

निकासी की जाती है। 11 अप्रैल को 5,148.19 रुपये का स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा, जिसकी देय तिथि 1 मई होगी, जिसमें निम्नलिखित घटक होंगे:

तारीख	लेन-देन का प्रकार	राशि (भारतीय रुपये)	व्याख्या
30 मार्च	खरीद	500 Dr	क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदारी
2 अप्रैल	नकद निकासी	4,000 Dr	क्रेडिट कार्ड से नकद निकासी
2 अप्रैल	नकद अग्रिम शुल्क	500 Dr	4,000 रुपये * 2.5% = 100 रुपये, जो 500 रुपये से कम है
2 अप्रैल	नकद शुल्क पर जीएसटी	90 Dr	INR 500*18% = INR 90
11 अप्रैल	ब्याज	49.32 Dr	नकद निकासी राशि 4,000 रुपये * 10 दिन* 3.75% ब्याज दर * 12 महीने/365 दिन = 49.32 रुपये
11 अप्रैल	ब्याज पर जीएसटी	8.88 Dr	INR 49.32 *18% = INR 8.88
क्लोज़िंग के समय बकाया		5,148.19 Dr	कुल देय भुगतान

इस साइकिल के लिए न्यूनतम देय राशि (MAD) 738.19 रुपये होगी। MAD की गणना इस प्रकार है MAD = 2%*(500+4,000) + (500+90+49.32+8.88)= 738.19 रुपये।

साइकिल 2: 12 अप्रैल से 11 मई

मान लीजिए 1 मई को 2,500 रुपये की नई खरीदारी की जाती है और 15 अप्रैल को MAD भुगतान किया जाता है, तो 31 मई की देय तिथि के साथ 11 मई को तैयार विवरण में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

तारीख	लेन-देन का प्रकार	राशि (भारतीय रुपये)	व्याख्या
प्रारंभिक शेष राशि		5,148.19 Dr	पिछले स्टेटमेंट से अंतिम शेष राशि

15 अप्रैल	भुगतान	738.19 Cr	पिछली न्यूनतम देय राशि का भुगतान = 738.19 रुपये
1 मई	खरीद	2,500 Dr	क्रेडिट कार्ड से नकद निकासी
11 मई	ब्याज	205.78 Dr	205.78 रुपये का ब्यौरा नीचे दिया गया है
11 मई	ब्याज पर जीएसटी	37.04 Dr	INR 205.78 *18% = INR 37.04
क्लोज़िंग के समय बकाया		7,152.81 Dr	कुल देय भुगतान

लगाए गए ब्याज में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

शेष राशि (भारतीय रुपये)	**अवधि**	**दिनों की संख्या**	**गणना**	**ब्याज (भारतीय रुपये)**
500	30 मार्च से 15 अप्रैल	17	500*17*3.75%*12/365	10.48
4,000	12 अप्रैल से 15 अप्रैल	4	4,000*4*3.75%*12/365	19.73
2,500	1 मई से 11 मई	11	2,500*11*3.75%*12/365	33.90
49.32	11 अप्रैल से 15 अप्रैल	5	49.32*5*3.75%*12/365	0.30
4,410	16 अप्रैल से 11 मई	26	4,410*26*3.75%*12/365	141.36
लगाए गए ब्याज				205.78

धारा डी (vi) में आवंटन आदेश के अधीन आंशिक भुगतान के विरुद्ध पिछले बकाये को समाप्त करने के बाद 4,410 रुपये शेष क्रय शेष है।

साइकिल 2: 12 मई से 11 जून

मान लीजिए कि 13 मई को 1,000 रुपये की खरीदारी की गई और पिछली समाप्ति शेष राशि यानी 7,152.81 रुपये का पूरा भुगतान देय तिथि से पहले 25 मई को किया गया। 31 मई को 5,000 रुपये की एक और खरीदारी की जाती है। 11 जून को तैयार किए गए स्टेटमेंट में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे :

तारीख	लेन-देन का प्रकार	राशि (भारतीय रुपये)	व्याख्या
प्रारंभिक शेष राशि		7,152.81 Dr	पिछले स्टेटमेंट से अंतिम शेष राशि
13 मई	खरीद	1,000 Dr	क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदारी
25 मई	भुगतान	7,152.81 Cr	पिछली कुल देय राशि का पूर्ण भुगतान = 7,152.81 रुपये
31 मई	खरीद	5,000 Dr	क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदारी
11 जून	ब्याज	139.10 Dr	139.10 रुपये का ब्यौरा नीचे दिया गया है
11 जून	ब्याज पर जीएसटी	25.04 Dr	INR 139.10 *18% = INR 25.04
क्लोज़िंग के समय बकाया		6,164.14 Dr	कुल देय भुगतान

लगाए जाने वाले ब्याज में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं, पिछले सभी बकायों और नए लेनदेन पर पिछले बकायों के पूर्ण भुगतान की तारीख तक ब्याज लगाया जाता है :

शेष राशि (भारतीय रुपये)	अवधि	दिनों की संख्या	गणना	ब्याज (भारतीय रुपये)
6,910	12 मई से 25 मई	14	6,910*14*3.75%*12/365	119.27
205.78	11 मई से 25 मई	15	205.78*15*3.75%*12/365	3.81
1,000	13 मई से	13	1,000*13*3.75%*12/365	16.03

	25 मई			
लगाए गए ब्याज				139.10

न्यूनतम देय राशि (MAD)-

मासिक भुगतान में कम से कम MAD की राशि शामिल होनी चाहिए। पिछले स्टेटमेंट से कोई भी अवैतनिक MAD भी वर्तमान MAD में जोड़ा जाएगा, ताकि वर्तमान स्टेटमेंट में देय MAD प्राप्त हो सके। MAD की गणना निम्न प्रकार से की जाती है, जो न्यूनतम 100 रुपये पर निर्भर है :

MAD की गणना सभी किश्तों, सभी शुल्कों, ब्याज/वित्त प्रभारों, करों, क्रेडिट सीमा से अधिक उपयोग की गई राशि (यदि कोई हो) तथा बकाया शेष राशि के 2% के योग के रूप में की जाती है।

यदि कुल देय राशि (TAD) 100 रुपये से कम है, तो MAD TAD के बराबर होगी

न्यूनतम देय राशि (MAD) गणना के लिए उदाहरण :

मान लीजिए कि आपने सभी पिछले बकाया का पूरा भुगतान कर दिया है, और आपके क्रेडिट कार्ड खाते में कोई राशि बकाया नहीं है, और आपका मासिक स्टेटमेंट हर महीने की 15 तारीख को तैयार होता है।

					MAD कम्प्यूटेशन लॉजिक	
क्र. संख्या	**लेनदेन की तारीख**	**प्रकार**	**राशि (भारतीय रुपये)**	**Cr/ Db**	**MAD योगदान**	**MAD में राशि (भारतीय रुपये)**
a	25 सेप्टंबर	खरीद	5,000	Db	2%	100
b	1 अक्टूबर	जॉइनिंग फीस	1,000	Db	100%	1,000
c	1 अक्टूबर	जॉइनिंग फीस पर जीएसटी	180	Db	100%	180
d	1 अक्टूबर	नकद निकासी	2,000	Db	2%	40
e	1 अक्टूबर	नकद निकासी फीस	500	Db	100%	500
f	1 अक्टूबर	GST	90	Db	100%	90

g	15 अक्टूबर	नकद निकासी पर ब्याज	36.99	Db	100%	36.99
h	15 अक्टूबर	ब्याज पर जीएसटी	6.66	Db	100%	6.66
	कुल देय (भारतीय रुपये)					**8,813.65**
	न्यूनतम देय राशि (MAD)					**1,953.65**

MAD = 2%*(5,000+2,000) +
100%* (1,000 +180+500+90+36.99+6.66) = 1,953.65
न्यूनतम देय राशि, 953.65 रुपये होगी

यदि आप 5,000 रुपये खर्च करते हैं और हर महीने न्यूनतम देय राशि (100 रुपये के न्यूनतम भुगतान के अधीन) का भुगतान करते हैं, तो आपको कुल राशि का भुगतान करने में लगभग 7 साल तक का समय लगेगा। इसलिए हमारा सुझाव है कि जब भी आपका नकदी प्रवाह अनुमति दे, तो पूरी बकाया राशि या अपनी न्यूनतम देय राशि से अधिक राशि का भुगतान कर दें।

नियम और शर्तें – EMI/ऋण फोरक्लोज़र

10 नवंबर 2023 से, यदि ऋण सुविधा/ऋण अवधि के दौरान कार्डधारक द्वारा ऋण सुविधा/ऋण को बंद कर दिया जाता है, तो कार्डधारक को अंतिम बिलिंग तिथि से ऋण सुविधा/ऋण के बंद होने की तिथि तक बैंक को कुल बकाया राशि (मूल बकाया, ऋण बंद होने तक के वास्तविक दिनों के लिए ऋण पर ब्याज सहित) चुकाने के लिए उत्तरदायी होना होगा। ऐसी स्थिति में, ब्याज शुल्क के लिए कार्ड स्टेटमेंट में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ होंगी :

• A = शेष संपूर्ण ऋण अवधि (अर्थात अंतिम बिलिंग तिथि से लेकर सुविधा अवधि समाप्त होने की तिथि तक) के लिए ब्याज काटा जाएगा।

• B = ऋण फोरक्लोज़र के बाद की अवधि से संबंधित ब्याज (अर्थात्, फोरक्लोज़र की तारीख से सुविधा अवधि के समापन की तारीख तक) कार्ड खाते में जमा किया जाएगा।

यदि कार्डधारक रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा का उपयोग कर रहा है, तो इस शेष राशि पर अब क्रेडिट कार्ड के लिए वित्त शुल्क सहित लागू शुल्क लगेगा। बैंक ऐसी बकाया राशि की तत्काल वापसी की माँग करने का अधिकारी होगा।

उदाहरण: मान लीजिए कि आपने पिछले सभी बकाया का पूरा भुगतान कर दिया है और आपके क्रेडिट कार्ड खाते में कोई भी राशि बकाया नहीं है और आपका मासिक स्टेटमेंट हर महीने की 25 तारीख को बनता है। आपने 3 मई 2023 को 6 महीने की अवधि के लिए 5,000 रुपये की EMI (BoE) पर शेष राशि ली है, जिस पर ROI 14% है। जुलाई 2023 तक 2 EMI काटी गई हैं और आपने 17 जुलाई 2023 को फोरक्लोज़र के लिए अनुरोध किया है।

तारीख	लेन-देन का प्रकार	राशि (भारतीय रुपये)	व्याख्या
3 मई ’23	प्राप्त BOE (EMI पर शेष राशि)	INR 5,000	क्रेडिट कार्ड पर BOE (ईएमआई पर शेष राशि) का लाभ उठाया गया
2 जून ’23	पहली EMI राशि	INR 867.69 Dr	867.69 रुपये की EMI काटी गई (मूलधन = 809.36 रुपये, ब्याज = 58.33 रुपये)
2 जून ’23	ब्याज पर GST	INR 10.50 Dr	ब्याज पर 18% की दर से जीएसटी 58.33*18% = 10.50 रुपये

2 जुलाई '23	दूसरी EMI राशि	INR 867.69 Dr	867.69 रुपये की EMI काटी गई (मूलधन = 818.80 रुपये, ब्याज = 48.89 रुपये)
2 जुलाई '23	ब्याज पर जीएसटी	INR 8.80 Dr	ब्याज पर 18% की दर से जीएसटी 48.89* 18% = 8.80 रुपये
17 जुलाई '23	EMI # 3 से 6 के लिए BOE ब्याज डेबिट का फोरक्लोजर	INR159.08 Dr	17 जुलाई 2023 को फोरक्लोज़र अनुरोध। शेष अवधि के ब्याज का डेबिट (3 जुलाई 23 से 2 नवंबर 23 तक) 3371.84*14%*123 दिन/365 दिन=159.08 (3371.84 रुपये मूल बकाया राशि है)
17 जुलाई '23	ऊपर दिए गए ब्याज पर GST	INR 28.63 Dr	159.08*18% = INR 28.63
17 जुलाई '23	किस्त ब्याज वापसी	INR 140.97 Cr	अप्रयुक्त अवधि के ब्याज का प्रत्यावर्तन (17 जुलाई 2023 से 2 नवंबर 2023) 3371.84*14%*109 दिन/365 दिन = 140.97 रुपये (3371.84 रुपये मूल बकाया राशि है)
17 जुलाई '23	जीएसटी रिवर्सल	INR 25.37 Cr	140.97*18%= INR 25.37
	प्रभावी शुद्ध ब्याज	INR 18.11	अंतिम बिलिंग तिथि से ऋण समाप्ति तिथि तक का ब्याज
	प्रभावी शुद्ध जीएसटी	INR 3.26	प्रभावी शुद्ध ब्याज से ऊपर जीएसटी

उपरोक्त परिवर्तन क्रेडिट कार्ड पर तत्काल ऋण, EMI में शेष राशि का रूपांतरण, व्यापारी पर EMI में लेनदेन रूपांतरण (व्यापारी EMI) या सभी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर पोस्ट-फैक्टो (लेनदेन EMI) पर लागू होंगे। ऋण बंद करने के संबंध में अन्य सभी शुल्क मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार बने रहेंगे। कृपया निम्नलिखित विस्तृत नियम और शर्तें देखें:

- क्रेडिट कार्ड पर ऋण - https://www.axisbank.com/retail/cards/cedit-Card/useful-links/card-services
- EMI में शेष राशि रूपांतरण - https://www.axisbank.com/retail/cards/-credit-Card/useful-links/card-services
- EMI (TEMI) में लेनदेन रूपांतरण - https://www.axisbank.com/retail/-cards/credit-Card/useful-links/card-services
- व्यापारी EMI (MEMI) - https://www.axisbank.com/retail/cards/credit-Card /useful-links/card-services

ए) क्रेडिट और नकद निकासी / अग्रिम शुल्क

- **क्रेडिट सीमा:** यह कार्डधारक को सौंपी गई सीमा है। सभी लेनदेन, शुल्क और प्रभारों सहित कुल बकाया राशि इस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- **नकद सीमा:** यह कार्डधारक को दी गई नकद अग्रिम सीमा है। यह सीमा क्रेडिट सीमा से कम है, तथा समग्र क्रेडिट सीमा का एक उप-समूह है।

  एटीएम से नकदी निकालने पर लेनदेन शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा, नकद लेनदेन में हमेशा लेनदेन की तारीख से ब्याज अर्जित होता है, जबकि रिटेल खरीद में ब्याज अर्जित होना, भुगतान की देय तिथि तक 100% शेष राशि के भुगतान पर निर्भर करता है।
- **उपलब्ध क्रेडिट सीमा:** किसी भी समय उपलब्ध क्रेडिट सीमा निर्दिष्ट क्रेडिट सीमा और उस समय कार्ड पर बकाया राशि के बीच का अंतर है। एड-ऑन कार्डधारक प्राथमिक कार्डधारक को निर्दिष्ट इस क्रेडिट सीमा को साझा करेंगे।
- **उपलब्ध नकद सीमा:** किसी भी समय उपलब्ध नकद सीमा, निर्दिष्ट नकद सीमा और उस समय कार्ड पर बकाया नकद शेष राशि के बीच का अंतर है।

- **अंतरराष्ट्रीय सीमा:** अंतरराष्ट्रीय सीमा ग्राहक को अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए दी गई निर्दिष्ट सीमा है। यह केवल उन ग्राहकों के लिए लागू है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड आवेदन के समय अंतरराष्ट्रीय उपयोग का विकल्प चुना है। यह आपके वेलकम किट पर उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय सीमा के अनुसार है

- क्रेडिट, नकद और अंतरराष्ट्रीय (यदि कोई हो) सीमा प्रत्येक कार्डधारक के लिए अलग-अलग होगी।

- इसकी सूचना कार्डधारक को कार्ड की डिलीवरी के समय स्वागत पत्र में दी जाएगी, तथा कार्डधारक को भेजे जाने वाले मासिक स्टेटमेंट में भी इसका खुलासा किया जाएगा। प्रत्येक मासिक स्टेटमेंट तैयार करते समय उपलब्ध क्रेडिट सीमा उक्त विवरण के एक भाग के रूप में प्रदान की जाती है।

- **मल्टी कार्ड-लिमिट शेयरिंग:** एक्सिस बैंक अपने विवेकानुसार कार्डधारक के पास मौजूद मौजूदा कार्ड प्रकार से अलग कार्ड प्रकार प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी समय किसी भी क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा और नकद सीमा एक्सिस बैंक के पूर्ण विवेक पर निर्भर है। आपके सभी एक्सिस बैंक क्रेडिट की क्रेडिट सीमा साझा की जाती है। आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर अलग-अलग क्रेडिट लिमिट के बावजूद, संयुक्त उपयोग शेयर की गई सीमा तक ही सीमित रहेगा। व्यक्तिगत कार्ड स्तर पर क्रेडिट सीमा या ग्राहक स्तर पर शेयर की गई लिमिट बैंक के मौजूदा आंतरिक दिशा-निर्देशों के आधार पर तय की जाती है। ऐसी स्थिति में, जहाँ बकाया राशि क्रेडिट कार्ड के लिए निर्धारित क्रेडिट सीमा से अधिक हो, मानक सीमा से अधिक शुल्क लागू होगा।

  एक्सिस बैंक ग्राहक के मौजूदा कार्ड/कार्डों (यदि कोई हो) के लिए नवीनतम आवेदन के अनुसार उसके जनसांख्यिकीय और व्यक्तिगत विवरण को अपडेट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

  किसी ग्राहक को जारी किए जाने वाले एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की अधिकतम संख्या बैंक की आंतरिक नीतियों और विवेक के अधीन है।

- ग्राहक द्वारा धारित क्रेडिट कार्डों पर क्रेडिट सीमा मौजूदा आंतरिक नीति दिशानिर्देशों और बैंक के पूर्ण विवेक के अधीन है। यदि किसी ग्राहक के पास एक्सिस बैंक के कई क्रेडिट कार्ड हैं, तो सभी कार्डों की सीमा साझा की जाती है और सभी कार्डों पर एक समान होती है। उदाहरण के लिए, यदि ग्राहक की क्रेडिट सीमा 1,00,000 रुपये है और ग्राहक के पास एक्सिस बैंक के दो क्रेडिट कार्ड हैं, तो प्रत्येक कार्ड पर अलग-अलग सीमा 1,00,000 रुपये होगी और दोनों कार्डों में

साझा की जाएगी। यदि ग्राहक कार्ड ए पर 90,000 रुपये मूल्य का लेनदेन करता है, तो दोनों कार्डों में से किसी एक पर उपयोग की जाने वाली उपलब्ध क्रेडिट सीमा 10,000 रुपये होगी, भले ही कार्ड बी पर कोई खर्च न किया गया हो। इस परिदृश्य में कुल ग्राहक सीमा कार्ड ए पर 1,00,000 और कार्ड बी पर 1,00,000 नहीं होगी।

- यदि ग्राहक के पास एक्सिस बैंक का एक कार्ड है और वह बैंक से दूसरे कार्ड के लिए आवेदन करता है, तो पहले कार्ड पर लागू सीमा दूसरे कार्ड पर भी लागू होगी। तथापि, दूसरे कार्ड के आवेदन के समय, यदि ग्राहक की उच्च सीमा के लिए समीक्षा की जाती है और उसने दूसरे कार्ड आवेदन के माध्यम से इसके लिए सहमति दे दी है, तो संशोधित सीमा सभी कार्डों पर लागू होगी, अर्थात मौजूदा और ग्राहक को जारी किए गए नए कार्ड पर।

- एक्सिस बैंक अपने विवेकानुसार समय-समय पर ग्राहक द्वारा रखे गए कार्ड पर निर्धारित क्रेडिट सीमा की समीक्षा (जिसमें वृद्धि या कमी शामिल है) करने का हकदार होगा। ऐसी समीक्षा के आधार पर, ग्राहक को सीमा वृद्धि प्रस्ताव (विशिष्ट वैधता अवधि के साथ) दिया जाएगा और ग्राहक की स्पष्ट सहमति के आधार पर, ऐसी वृद्धि ग्राहक द्वारा रखे गए सभी क्रेडिट कार्डों पर संसाधित की जाएगी, जो प्रसंस्करण के समय वास्तविक समय की जांच के अधीन होगी। क्रेडिट सीमा में वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेडिट कार्ड खाता उस तिथि को पात्र है जिस दिन अनुरोध के लिए कार्रवाई की गई थी और इसे 3 कार्य दिवसों के भीतर संसाधित किया जाएगा।

- यदि ग्राहक बैंक से किसी भी सीमा वृद्धि प्रस्ताव के लिए पात्र नहीं है, तो ग्राहक बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके मौजूदा क्रेडिट सीमा की समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ऐसी समीक्षा और वृद्धि (यदि कोई हो) बैंक के पूर्ण विवेक पर निर्भर है। ऐसे अनुरोधों पर 7 कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

- **उपयोग पर आरबीआई के दिशानिर्देश**
  आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कार्डों को भारत में केवल संपर्क आधारित उपयोग बिंदुओं (एटीएम और पीओएस यानी बिक्री केंद्र) पर ही उपयोग के लिए सक्षम किया जाएगा। आप मोबाइल बैंकिंग एप, ओपन, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से संपर्क रहित, अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन लेनदेन को सक्षम या अक्षम करके या ग्राहक सेवा से संपर्क करके / निकटतम शाखा में जाकर किसी भी समय अपनी उपयोग प्राथमिकता निर्धारित या बदल सकते हैं और अपने कार्ड पर लेनदेन सीमा

का प्रबंधन कर सकते हैं। आपके कार्ड के सामने वाले हिस्से पर संपर्क रहित प्रतीक यह दर्शाता है कि कार्ड संपर्क रहित स्वीकृति के लिए तैयार है। यदि आपका कार्ड प्लास्टिक उपर्युक्त किसी भी लेनदेन का समर्थन नहीं करता है, तो आप वरीयताओं/सीमाओं को सक्षम या अक्षम नहीं कर पाएँगे, कृपया अपने अनुरोध के लिए ग्राहक सेवा को कॉल करें या किसी शाखा पर जाएँ।

बी) क्रेडिट - निःशुल्क अवधि

ब्याज मुक्त छूट अवधि लेनदेन की तारीख के आधार पर 20 से 50 दिनों तक हो सकती है। यदि पिछले महीने के बिल का कोई शेष अभी भी बकाया है, तो ब्याज-मुक्त क्रेडिट अवधि निलंबित कर दी जाती है।

अनुग्रह अवधि की गणना के लिए उदाहरण : 20 जून से 20 जुलाई तक की अवधि के स्टेटमेंट के लिए, भुगतान देय तिथि 10 अगस्त होगी। यह मानते हुए कि आपने भुगतान देय तिथि तक पिछले महीने के स्टेटमेंट की अपनी कुल देय राशि का भुगतान कर दिया है, अनुग्रह अवधि होगी :

1. 24 जून की खरीदारी के लिए ब्याज मुक्त छूट अवधि 24 जून से 10 अगस्त तक है, अर्थात 47 दिन।

2. 14 जुलाई की तारीख वाली खरीदारी के लिए ब्याज-मुक्त अनुग्रह अवधि 18 जुलाई से 10 अगस्त तक यानी 23 दिन है। इस प्रकार, अनुग्रह अवधि खरीदारी की तारीख के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। हालाँकि, यदि पिछले महीने की कुल देय राशि का भुगतान भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है, तो मुफ़्त क्रेडिट अवधि समाप्त हो जाएगी और कोई ब्याज-मुक्त अवधि नहीं होगी। नकद अग्रिम के लिए, लेनदेन की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज लगाया जाता है।

सी) बिलिंग और स्टेटमेंट

i] बिलिंग स्टेटमेंट - भेजने की अवधि और तरीका : बैंक आपके डाक पते / ई-मेल पते पर, बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार, महीने में एक बार स्टेटमेंट / ई-स्टेटमेंट भेजेगा, यदि कार्ड खाते पर 100 रुपये से अधिक का कोई लेनदेन या बकाया है। स्टेटमेंट प्राप्त न होने से इस अनुबंध के अंतर्गत आपके दायित्वों और देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप भुगतान की देय तिथि के भीतर कार्ड पर बकाया राशि का निपटान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ग्राहकों के पास एक्सिस फोन बैंकिंग तक पहुँचने का एक बार का विकल्प है, ताकि बकाया भुगतान के अधीन, स्टेटमेंट जनरेशन की तारीख को बैंक के मौजूदा बिलिंग साइकिल में से किसी एक में अपडेट किया जा सके।

ii] बैंक व्यापारिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त सभी डेबिट और लगाए गए शुल्कों के लिए कार्ड खाते को डेबिट करेगा, तथा कार्डधारक द्वारा बैंक को किए गए सभी भुगतानों और कार्डधारक के पक्ष में किए गए किसी भी भुगतान के लिए कार्ड खाते को क्रेडिट करेगा।

iii] बैंक कार्डधारक को एक रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा प्रदान कर सकता है, जिसमें कार्डधारक स्टेटमेंट में दर्शाई गई न्यूनतम देय राशि (MAD) का ही भुगतान करना चुन सकता है। कार्डधारक से देय कुल राशि (TAD) या एमएडी का भुगतान कार्डधारक द्वारा भुगतान देय तिथि को या उससे पहले किया जाना चाहिए, जिसे स्टेटमेंट में भी दर्शाया गया है।

iv] भुगतान की नियत तिथि तक MAD का भुगतान न करने पर आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की वापसी या निलंबन (चाहे अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से) का जोखिम उठाना पड़ेगा। ऐसे भुगतान न करने पर भी शुल्क लगाया जाएगा। बैंक अपने विवेक से, व्यापारी प्रतिष्ठान को एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का सम्मान न करने और/या कार्ड एसोसिएशन सिस्टम में कार्ड नंबर को हॉट लिस्टिंग करके कार्ड की कस्टडी लेने का निर्देश भी दे सकता है।

v] आप बिलिंग अवधि के दौरान, भुगतान देय तिथि से पहले एक से अधिक बार न्यूनतम देय राशि से अधिक का भुगतान कर सकते हैं, या देय तिथि से पहले किसी भी समय कार्ड खाते पर बकाया शेष राशि का भुगतान कर सकते हैं।

vi. कार्ड बकाया के लिए किए गए भुगतान की पुष्टि आगामी स्टेटमेंट में की जाती है। कार्डधारक के कार्ड बकाया के विरुद्ध प्राप्त भुगतान निम्न क्रम में विभाजित किया जाएगा :

1. कर सहित शुल्क और प्रभार
2. ब्याज शुल्क
3. नकद अग्रिम
4. डायल-ए-ड्राफ्ट
5. ईएमआई
6. बैलेंस ट्रांसफर
7. खरीदारी

vii. यदि आपके द्वारा जारी किया गया कोई भी भुगतान निर्देश बाद में अस्वीकृत हो जाता है, तो कार्ड विशेषाधिकार निलंबित / समाप्त हो सकते हैं और बैंक के पूर्ण विवेक पर, शुल्क अनुसूची में उल्लिखित शुल्क कार्ड खाते पर लगाया जाएगा। ऐसी शुल्क राशि बैंक के पूर्ण विवेक पर परिवर्तन के अधीन है। बैंक किसी भी उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

viii. बैंक द्वारा आपको मासिक खाता विवरण की डुप्लिकेट प्रति आपके अनुरोध से पहले ही उपलब्ध करा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको प्रभारों की अनुसूची में निर्दिष्ट सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा और जिसे बैंक के विवेकानुसार बदला जा सकता है।

ix. आपके संपर्क पते / ई-मेल पते में किसी भी परिवर्तन के मामले में, आपको सलाह दी जाती है कि आप तुरंत बैंक से संपर्क करें और इसे अपडेट करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको नियमित रूप से और समय पर स्टेटमेंट प्राप्त हों।

x. बिलिंग विवाद - स्टेटमेंट की सभी सामग्री कार्डधारकों द्वारा सही और स्वीकार्य मानी जाएगी, जब तक कि स्टेटमेंट जारी होने के 60 दिनों के भीतर, कार्डधारक बैंक को किसी भी विसंगति के बारे में सूचित नहीं करते। यदि बैंक को उपर्युक्त विसंगतियाँ वैध लगती हैं, तो वह बैंक द्वारा आगामी जाँच पूरी होने तक, पूर्ण एवं अंतिम संतुष्टि तक, अस्थायी आधार पर प्रभार वापस ले सकता है। यदि बैंक द्वारा की गई जाँच से यह संकेत मिलता है कि ऐसी (विसंगतियों) के लिए उक्त कार्डधारक पर दायित्व आ रहा है, तो आगामी स्टेटमेंट में प्रभार पुनः स्थापित कर दिया जाएगा तथा बैंक द्वारा प्रभारों की अनुसूची में दर्शाए गए प्रभारों के अनुसार शुल्क/प्रभार का दावा किया जाएगा।

xi. ईएमआई सुविधा का लाभ उठाने पर, मूल लेनदेन पर अर्जित रिवार्ड पॉइंट (यदि कोई हों) वापस कर दिए जाएँगे। EDGE रिवॉर्ड पॉइंट/EDGE माइल्स/कैशबैक और सभी प्रकार के रिवॉर्ड पॉइंट क्रेडिट कार्ड लेनदेन के लिए डेबिट किए जाएँगे जिन्हें ईएमआई में परिवर्तित किया जाता है। ईएमआई लेनदेन रद्द होने की स्थिति में, रिवॉर्ड पॉइंट/कैशबैक मूल लेनदेन में वापस जमा नहीं किया जाएगा।

डी) यूपी पर एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड

ये नियम और शर्तें उपयोगकर्ता और एक्सिस बैंक के बीच अनुबंध का निर्माण करती हैं और ये ऊपर सूचीबद्ध क्रेडिट कार्ड एमआईटीसी के अतिरिक्त होंगी, न कि उससे अलग।
यह सुविधा केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी और एक्सिस बैंक के पूर्ण विवेक पर प्रदान की जाएगी और एक्सिस बैंक द्वारा उपयोगकर्ताओं को पूर्व सूचना दिए बिना या इसके साथ किसी भी समय इसे बंद किया जा सकता है।

सेवा की शर्तें

यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के लिए ये नियम और शर्तें एक्सिस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले किसी भी खाते या किसी अन्य सुविधा के सामान्य नियमों और शर्तों के अतिरिक्त हैं।

1. यह सुविधा उपयोगकर्ता के अनुरोध पर एक्सिस बैंक रुपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति के अधीन प्रदान की जाएगी।
2. ग्राहक को यूपीआई एप से लिंक करने के लिए अपने एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा।
3. उपयोगकर्ता को एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने और यूपीआई एप के माध्यम से भुगतान लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए 6 अंकों का यूपीआई पिन सेट करना होगा। यूपीआई लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए 4 अंकों के क्रेडिट कार्ड पिन पर विचार नहीं किया जाएगा
4. यूपीआई पिन सेट अप को सभी प्रकार के लेनदेन के लिए क्रेडिट कार्ड सक्षम करने के लिए ग्राहक की सहमति माना जाएगा।

5. उपयोगकर्ता केवल RuPay नेटवर्क पर अनुमत P2M लेनदेन कर सकता है
6. यदि आपके यूपीआई एप पर अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सक्षम हैं, तो यूपीआई लेनदेन पर CC की भी अनुमति होगी
7. P2P, P2PM, डिजिटल खाता खोलने, ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म, मर्चेंट से नकद निकासी, एटीएम से नकद निकासी, ERUPI, IPO, विदेशी आवक प्रेषण, म्यूचुअल फंड और एक्सिस बैंक / RBI द्वारा प्रतिबंधित किसी भी अन्य श्रेणी पर लेनदेन की अनुमति नहीं है
8. एक्सिस बैंक द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई क्रेडिट कार्ड सीमाओं के अलावा, मौजूदा यूपीआई लेनदेन सीमाएँ भी लागू होंगी
9. क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू कोई भी शुल्क, वित्त शुल्क, अधिभार या मार्क-अप यूपीआई लेनदेन पर CC पर भी लागू होगा
10. यूपीआई लेनदेन पर CC से नकद निकासी की अनुमति नहीं होगी
11. यूपीआई पर CC के विरुद्ध किया गया कोई भी लेनदेन आपकी मौजूदा क्रेडिट कार्ड सीमा से काट लिया जाएगा।
12. एक्सिस बैंक या उस यूपीआई एप से जुड़कर चार्ज बैक या रिफंड उठाया जा सकता है जिस पर लेनदेन पूरा किया गया था।
13. यदि ईंधन अधिभार लगाया जाता है, तो चयनित एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड के मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार इसे माफ़ कर दिया जाएगा
14. यह सुविधा फंड प्राप्त करने के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड को स्वीकार नहीं करेगी
15. एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के मामले में, उपयोगकर्ता को अपडेट किए गए क्रेडिट कार्ड विवरण के साथ यूपीआई एप पर फिर से पंजीकरण करना होगा
16. डिवाइस बदलने के मामले में, उपयोगकर्ता को उसी सिम के साथ यूपीआई एप पर क्रेडिट कार्ड के लिए फिर से पंजीकरण करना होगा। पिछले डिवाइस में इंस्टॉल किए गए एप्लिकेशन को डी-रजिस्टर किया जाएगा।
17. MCC 6513 के माध्यम से पहचाने गए प्रत्येक किराए के भुगतान के लिए, यूपीआई लेनदेन राशि पर CC पर 1% का किराया अधिभार शुल्क लगाया जाएगा।

डी) क्रेडिट कार्ड का उपयोग

- क्रेडिट कार्ड केवल व्यक्तिगत खर्च और उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। कार्डधारक को किसी भी वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए पुनर्विक्रय, वाणिज्यिक या

व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल वैध, वास्तविक व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और इसका उपयोग किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग, असामाजिक या सट्टा गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए या व्यवसाय में इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए कार्यशील पूंजी प्रयोजनों के लिए)।

- ज्वाइनिंग / वार्षिक शुल्क, विदेशी मुद्रा मार्कअप, जीएसटी / वैट, डीसीसी, ईंधन अधिभार, विलंबित भुगतान शुल्क, डेबिट ब्याज, किराया अधिभार शुल्क, चेक बाउंस शुल्क को छोड़कर सभी खर्चों को माइलस्टोन खर्चों के लिए माना जाता है।
- कार्डधारकों को अपने क्रेडिट कार्ड में अतिरिक्त भुगतान करने तथा उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए अपनी स्वीकृत क्रेडिट सीमा को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की अनुमति नहीं है। कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यकता पड़े तो वे क्रेडिट सीमा बढ़ाने के लिए बैंक से संपर्क करें।
- आरबीआई के आदेश के अनुसार, यदि प्रतिबंधित MCC कोड पर लेनदेन पाया जाता है तो बैंक को क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने का अधिकार है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग बैंक के नियामक दिशा-निर्देशों, नियमों और शर्तों और लागू नीतियों के अनुसार किया जा रहा है, बैंक को क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर समय-समय पर जांच चलाने का अधिकार होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या एक स्टेटमेंट साइकिल में स्वीकृत सीमा से परे क्रेडिट सीमा का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, कुछ चुनिंदा व्यापारियों पर असामान्य या अत्यधिक उपयोग, किसी अन्य क्रेडिट कार्ड / ऋण का पुनर्भुगतान करने, बचत खाते में धन हस्तांतरित करने, व्यापारी के साथ संभावित मिलीभगत और / या गैर-व्यक्तिगत / व्यावसायिक संबंधित आवश्यकताओं के लिए उपयोग, अनुचित रिवॉर्ड पॉइंट्स / कैश बैक / अन्य लाभों के संचय के लिए सुविधाओं / ऑफ़र / कार्यक्रमों का अधिक उपयोग / दुरुपयोग। ऐसी स्थिति में, एक्सिस बैंक अपने विवेकानुसार, संबंधित क्रेडिट कार्ड और उसके अतिरिक्त/एड-ऑन कार्ड को रद्द करने तथा कार्डधारक को कोई सूचना दिए बिना, ग्राहक स्तर पर अर्जित कैशबैक/रिवॉर्ड पॉइंट को रोकने/रद्द करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। एक्सिस बैंक आपसे फोन पर या किसी अन्य औपचारिक संचार माध्यम से भी पूछताछ कर सकता है और क्रेडिट कार्ड के लेन-देन, उपयोग के पैटर्न आदि के बारे में विवरण, सूचना, प्रमाण आदि मांग सकता है। कार्डधारक की ओर से असंतोषजनक उत्तर या कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर एक्सिस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक/बंद किया जा सकता है।

- यदि किसी कार्डधारक का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड किसी भी समय किसी भी कारण से समाप्त कर दिया जाता है, चाहे प्राथमिक कार्डधारक या बैंक द्वारा, तो प्राथमिक कार्डधारक को तुरंत रिवॉर्ड/कैशबैक अर्जित करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के स्वैच्छिक या अनैच्छिक रद्दीकरण के तुरंत बाद अर्जित सभी अप्रयुक्त रिवॉर्ड/कैशबैक स्वचालित रूप से ज़ब्त हो जाएँगे।

- ऐसे मामलों में कार्डधारक को एनओसी जारी नहीं किया जा सकता जहाँ एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण बैंक द्वारा समाप्त कर दिया गया हो।

- यदि प्रासंगिक तिथि को कार्ड वापस ले लिया गया है या रद्द कर दिया गया है या रद्द किए जाने योग्य है या कार्ड सदस्य का खाता बकाया खाता है, तो रिवॉर्ड पॉइंट्स का संचयन या रिडम्पशन स्वीकार्य नहीं होगा।

- बैंक किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के या कोई भी कारण बताए किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर शुल्क लगाने की अनुमति देने से मना कर सकता है और/या कार्डधारक की कार्ड का उपयोग करने की क्षमता को प्रतिबंधित या स्थगित कर सकता है और/या कार्ड को निलंबित या रद्द कर सकता है। बैंक एटीएम, व्यापारिक प्रतिष्ठान के माध्यम से खुद ही क्रेडिट कार्ड को वापस ले सकता है/रख सकता है, अगर उसे उचित रूप से लगता है कि क्रेडिट या व्यावसायिक जोखिम के उचित प्रबंधन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, या अगर कार्ड या कार्ड खाते का दुरुपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग होने की संभावना है।

- बैंक अपने विवेकानुसार कार्ड को निलंबित/वापस ले सकता है, और इसके लिए वह किसी भी तरह से आपके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। कार्ड और इस कार्डमेम्बर अनुबंध की समाप्ति से उससे जुड़े विशेषाधिकार, लाभ और सुविधाएँ स्वतः ही समाप्त हो जाएँगी।

- कार्ड एम्बॉसिंग (उभरा हुआ) के लिए अधिकतम स्वीकृत लंबाई 19 अक्षर है। यदि एम्बॉसिंग नाम इस सीमा से अधिक है, तो कार्ड संसाधित नहीं किया जाएगा।

- बैंक 30 दिन की पूर्व सूचना देकर अपने विवेक से किसी भी समय किसी भी क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं और लाभों में परिवर्तन कर सकता है।

- कार्डधारक को कार्ड जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कार्ड को सक्रिय करना होगा; अन्यथा, कार्ड अगले 7 दिनों में स्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

- यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं किया गया है, तो बैंक कार्डधारक को सूचित करने के बाद कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा, बशर्ते कि कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए।
- एक कार्डधारक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए वेलकम बेनिफिट केवल एक बार प्राप्त करने का हकदार है। कार्ड रद्द करने और उसी कार्ड वेरिएंट को फिर से खोलने की स्थिति में, वेलकम बेनिफिट लागू नहीं होगा।
- यदि कार्डधारक वार्षिक शुल्क लगाए जाने के बाद किसी भी लेनदेन (ईएमआई लेनदेन सहित) के लिए कार्ड का उपयोग करता है, तो वार्षिक शुल्क वापस लेने का कार्डधारक का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, भले ही कार्डधारक कार्ड रद्द करने का विकल्प चुनता हो।

एफ़) क्लियरिंग टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) के साथ भुगतान की विधि

ग्राहक द्वारा किया गया वास्तविक भुगतान और व्यापारी से प्राप्त रिवर्सल/रिफंड को भुगतान माना जाता है।

कृपया ध्यान दें कि क्रेडिट कार्ड में कोई भी अतिरिक्त जमा शेष राशि, जो बकाया राशि के शुद्ध शेष से अधिक है और क्रेडिट कार्ड की देय तिथि तक अप्रयुक्त रहती है, उसे बैंक से जुड़े खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

कार्ड खाते में भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है :

1. नकद*: कार्डधारक कार्ड भुगतान के लिए एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा में नकद जमा कर सकता है। शाखाओं में ऐसे भुगतानों पर प्रति भुगतान लेनदेन 175 रुपये का शुल्क लगेगा। नकद भुगतान की मंज़ूरी के लिए TAT - उसी दिन।
2. चेक/ड्राफ्ट*: “एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर XXXXXXXXXXXXXXXX” के पक्ष में चेक या ड्राफ्ट बनाएं और इसे MINC/SKYFIN बॉक्स के कलेक्शन बॉक्स में या एक्सिस बैंक शाखाओं के काउंटर पर डालें। आउटस्टेशन चेक/ड्राफ्ट यानी विशिष्ट

शहरों के अलावा अन्य शहरों में देय चेक/ड्राफ्ट (बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए ऐसे विशिष्ट शहरों की सूची, अनुरोध पर उपलब्ध है) पर प्रोसेसिंग शुल्क लग सकता है।
एक्सिस बैंक चेक के क्लीयरेंस के लिए TAT – 1 कार्य दिवस। दूसरे बैंक चेक के क्लीयरेंस के लिए TAT – प्राप्ति के आधार पर 3 - 5 कार्य दिवस (आउटस्टेशन चेक क्लीयरेंस के लिए अतिरिक्त दिन की आवश्यकता है। कृपया शाखा से जाँच करें)।

*यदि क्रेडिट कार्ड भुगतान की देय तिथि दूसरे और चौथे शनिवार या रविवार को पड़ती है, तो शाखाएँ चेक/नकद भुगतान स्वीकार करने के लिए बंद रहेंगी।

3. **लिंक्ड एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट के माध्यम से इंटरनेट भुगतान:** कार्डधारक एक्सिस बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। बस www.axisbank.com पर लॉग इन करें। निकासी के लिए TAT - 1 कार्य दिवस।

4. **ऑटो-डेबिट:** कार्डधारक बचत खाते के माध्यम से सीधे भुगतान कर सकता है, इसके लिए उसे लिखित में निर्देश देना होगा कि भुगतान देय तिथि पर हर महीने ऐसे खातों से भुगतान डेबिट किया जाए। यदि भुगतान की देय तिथि रविवार को पड़ती है, तो राशि अगले कार्य दिवस पर खाते से डेबिट कर दी जाएगी। निकासी के लिए TAT - 1 कार्य दिवस।

5. **क्लिक टू पे / एनईएफटी / वीएमटी :** क्लिक टू पे / एनईएफटी / वीएमटी का उपयोग करके अपने किसी भी अन्य बैंक बचत खाते से अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान करें। क्लिक टू पे क्लीयरेंस के लिए TAT - 3 कार्य दिवस। एनईएफटी क्लीयरेंस के लिए TAT - 1 कार्य दिवस। वीएमटी क्लीयरेंस के लिए TAT - 2 कार्य दिवस।

6. **एटीएम के माध्यम से भुगतान:** किसी भी एक्सिस बैंक एटीएम पर अपने एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान करें। निकासी के लिए TAT - 1 कार्य दिवस।

7. **IMPS क्रेडिट कार्ड भुगतान:** IMPS के साथ, कार्डधारक किसी भी अन्य बैंक के मोबाइल एप्लिकेशन से किसी भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर वास्तविक समय में भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के लिए आपके मोबाइल एप्लिकेशन पर कई एक्सिस क्रेडिट कार्ड खाते पंजीकृत किए जा सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति (सहकर्मी/मित्र/जीवनसाथी) इस सुविधा के माध्यम से किसी के भी क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकता है।

निकासी के लिए TAT - उसी दिन।

8. **तीसरे पक्ष के माध्यम से भुगतान:** एक्सिस बैंक कार्डधारकों को सलाह देता है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान ऊपर बताए गए तरीकों से करें। एक्सिस बैंक से संबद्ध न होने वाले किसी भी तृतीय पक्ष एप सहित अन्य चैनलों के माध्यम से किए गए किसी भी क्रेडिट कार्ड भुगतान की निकासी के लिए उच्च TAT हो सकती है। यदि एक्सिस बैंक द्वारा नियत तिथि तक धनराशि प्राप्त नहीं की जाती है, तो कार्ड प्रकार पर लागू दंडात्मक शुल्क लागू होगा। गैर-संबद्ध चैनलों के माध्यम से किए गए भुगतान में देरी/कार्ड पर दिखाई न देने से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न के लिए, ग्राहक सीधे संबंधित चैनलों से संपर्क कर सकते हैं।

9. **प्रवासी क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भुगतान:** बैंक अपने प्रवासी क्रेडिट कार्ड धारकों को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करता है और एक्सिस बैंक एनआरई (NRE) खाते का उपयोग करके ऐसे क्रेडिट कार्ड पर भुगतान अनिवार्य करता है। ऐसे प्रवासी क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक्सिस बैंक एनआरई खाते से ऑटो डेबिट अनिवार्य है। एक्सिस बैंक एनआरओ (NRO) खाते से भुगतान किए जाने के मामले में, फॉर्म 15 सीए/सीबी और एनआरओ बैंक खाता चेक सहित कुछ निश्चित दस्तावेज़ों की हर बार आवश्यकता होती है जब भी आप एनआरओ खाते से भुगतान करना चाहते हैं। आवश्यक दस्तावेज़ जमा किए बिना गैर-एनआरई स्रोत से किए गए भुगतान की स्थिति में, जहाँ बैंक गैर-एनआरई स्रोत स्थापित करने में सक्षम है या उसके पास यह मानने का कारण है कि यह गैर-एनआरई स्रोत से है, बैंक कार्ड पर अंतरराष्ट्रीय उपयोग को तब तक निष्क्रिय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब तक कि ऐसे दस्तावेज़ बैंक को उपलब्ध नहीं करा दिए जाते। निर्धारित समय के भीतर ऐसे दस्तावेज़ उपलब्ध न कराए जाने पर, बैंक ग्राहक को 'मास्टर निर्देश- FEMA, 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग' (FED मास्टर निर्देश संख्या 4/2015-16 दिनांक 01 जनवरी, 2016 और 04 जनवरी, 2021 तक अद्यतन) में शामिल कंपाउंडिंग के लिए फाइल करने के लिए बाध्य कर सकता है। कंपाउंडिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। https://m.rbi.org.in/SCRIPTs/FAQView.aspx?Id=80

10. ग्राहक द्वारा शुरू किए गए भुगतान/मर्चेंट रिफंड के अलावा कार्ड खाते में किसी भी तरह के क्रेडिट के मामले में, ऐसे क्रेडिट को न्यूनतम देय राशि को समायोजित करने के लिए नहीं माना जाएगा। इसलिए, ग्राहकों से अनुरोध है कि यदि वे न्यूनतम देय

राशि से अधिक या उसके बराबर भुगतान करना चाहते हैं तो भुगतान करते समय ऐसे क्रेडिट को कम न करें। ऐसे क्रेडिट में कैशबैक, सर्विस रिवर्सल आदि शामिल हैं।

निश्चिंत रहें, आगामी महीनों की बकाया राशि की गणना के लिए ऐसे क्रेडिट पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में न्यूनतम देय राशि का भुगतान न करने पर शुल्क और प्रभार लगाया जा सकता है।

जी) कार्ड सदस्यता की समाप्ति / समर्पण / निरसन

कार्डधारक किसी भी समय, कोई पूर्व सूचना दिए बिना या उसके साथ कार्ड खाते को समाप्त / सरेंडर करना चुन सकता है। दुरुपयोग से बचने के लिए, क्रेडिट कार्ड को चार टुकड़ों में काटने की सलाह दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि होलोग्राम और चुंबकीय पट्टी स्थायी रूप से नष्ट हो जाएं। कार्डधारक किसी भी समय ग्राहक सेवा ई-मेल आईडी पर पूरा कार्ड नंबर बताकर या ग्राहक सेवा पर कॉल करके कार्ड की सदस्यता समाप्त कर सकता है। समाप्ति तभी प्रभावी होगी जब एक्सिस बैंक को उक्त कार्ड खाते के संबंध में देय और बकाया सभी राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम बंद होने की स्थिति में या क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के समय, एक्सिस बैंक अपने विवेकानुसार कार्डधारक के पास मौजूद मौजूदा कार्ड प्रकार से अलग कार्ड प्रकार प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी समय किसी भी क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा और नकद सीमा एक्सिस बैंक के विवेकानुसार होती है। कार्ड आवेदन, बंद होने/नवीनीकरण के समय उपलब्ध कराए गए किसी भी प्रतिस्थापन कार्ड के लिए वैध बना रहेगा।

वित्त प्रभार कार्ड खाता बंद होने के बाद भी तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि कार्ड पर बकाया राशि पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती।

यदि ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड को रद्द करने के लिए बैंक से संपर्क करता है और लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है या बाद में पहुँच से बाहर हो जाती है, तो क्रेडिट कार्ड अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, बैंक अगले 4 कार्य दिवसों में ग्राहक से संपर्क करने का प्रयास करेगा। यदि ग्राहक अभी भी संपर्क करने में असमर्थ है या फिर बैंक से संपर्क करने में सक्षम नहीं है, तो उनके क्रेडिट कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यदि क्रेडिट कार्ड पर कोई बकाया राशि पाई जाती है, तो वह अगले स्टेटमेंट

साइकिल में दिखाई देगी। एक बार बकाया राशि का भुगतान हो जाने पर कार्ड स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं किया गया है तो बैंक उस क्रेडिट कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहक को सूचित करेगा और यदि सूचना में दी गई समय-सीमा के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक कार्ड खाता (एडऑन कार्ड सहित, यदि कोई हो) बंद कर देगा, बशर्ते कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए।

यदि कार्डधारक के पास बंद होने के समय नेगेटिव रिवॉर्ड पॉइंट बैलेंस है, तो ऐसे नेगेटिव रिवॉर्ड पॉइंट के बराबर मूल्य को स्टेटमेंट डेबिट में बदल दिया जाएगा और कार्डधारक को किसी अन्य बकाया राशि के साथ इसका भुगतान करना होगा। कार्ड खाते पर बकाया सभी राशियों के भुगतान के बाद समाप्ति प्रभावी होगी। कोई भी वार्षिक, सदस्यता या नवीनीकरण शुल्क आनुपातिक आधार पर वापस नहीं किया जाएगा।

उदाहरण – समापन के समय नेगेटिव रिवॉर्ड पॉइंट शेष : -1000

बंद होने पर, -1000 नेगेटिव रिवॉर्ड पॉइंट बैलेंस को 200 रुपये के स्टेटमेंट डेबिट में बदल दिया जाएगा, यानी 1000 नेगेटिव रिवॉर्ड पॉइंट x 0.20 रुपये प्रति रिवॉर्ड पॉइंट (यह रूपांतरण मूल्य अलग-अलग कार्ड वेरिएंट के लिए अलग-अलग हो सकता है)। यह राशि कार्डधारक के खाते से ली जाएगी और कार्डधारक को किसी अन्य बकाया राशि के साथ इसका भुगतान करना होगा। यदि किसी कारण से प्राथमिक कार्ड समाप्त हो जाता है, तो अतिरिक्त कार्ड की सुविधा समाप्त हो जाएगी।

बैंक किसी ग्राहक को बिना माँगे क्रेडिट कार्ड नहीं भेजेगा, सिवाय उस स्थिति के जब वह कार्ड ग्राहक के पास पहले से मौजूद कार्ड का प्रतिस्थापन/नवीनीकरण हो। यदि ग्राहक के अनुरोध पर कार्ड ब्लॉक किया जाता है, तो ब्लॉक किए गए कार्ड के बदले प्रतिस्थापन कार्ड ग्राहक की स्पष्ट सहमति से जारी किया जाएगा। इसके अलावा, यदि ग्राहक कार्ड को नवीनीकृत नहीं करना चाहता है, तो उसके पास कार्ड रद्द करने के लिए क्लाइंट से संपर्क करने का विकल्प होगा।

कार्ड रद्द करने पर कार्ड धारक द्वारा ली गई EMI/ILCC भी जब्त हो जाएगी तथा जीएसटी के साथ लागू फोरक्लोज़र शुल्क भी लगाया जाएगा।

क्रेडिट कार्ड नवीनीकरण के नियम व शर्तों के लिए कृपया देखें - https://www.axisbank.com/ncmitc

कार्ड रद्द करने से कार्ड धारक द्वारा लिए गए ईएमआई/तत्काल ऋण भी जब्त हो जाएंगे तथा जीएसटी के साथ लागू फोरक्लोजर शुल्क भी लगाया जाएगा।

एच) कार्ड की हानि / चोरी / दुरुपयोग

यदि कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए, आपका पिन या अन्य सुरक्षा जानकारी किसी अन्य को पता हो या आपकी अनुमति के बिना उसका उपयोग किया जा रहा हो, तो आपको तुरंत बैंक को फोन पर सूचित करना चाहिए।

निकटतम पुलिस स्टेशन में तुरंत पुलिस शिकायत / प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। दुरुपयोग के मामले में, बैंक की देयता पॉलिसी नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन, खोए हुए कार्ड देयता के तहत कवर की गई राशि तक सीमित होगी। एटीएम या पिन/पासवर्ड/ओटीपी/एमपिन/सीवीवी आधारित लेनदेन के लिए कार्ड के किसी भी दुरुपयोग के लिए कार्डधारक पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

आइ) पिन को सुरक्षित रखने के संबंध में बातें

कार्ड के साथ उपयोग के लिए कार्डधारक को जारी किया गया व्यक्तिगत पहचान नंबर (पिन) या कार्डधारक द्वारा पिन के रूप में चुना गया कोई भी नंबर केवल कार्डधारक को ही ज्ञात होना चाहिए। यह कार्डधारक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, और हस्तांतरणीय नहीं है तथा पूरी तरह से गोपनीय है। पिन नंबर का लिखित रिकॉर्ड किसी भी रूप, स्थान या तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए जिससे किसी तीसरे पक्ष द्वारा इसका उपयोग करना आसान हो जाए। पिन को किसी भी तीसरे पक्ष, चाहे बैंक के कर्मचारी हों या व्यापारिक प्रतिष्ठान, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी तरह से, स्वैच्छिक या अन्यथा, प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। कार्डधारक को छोड़कर बैंक अन्य किसी को भी कार्डधारक का पिन जारी करते समय सावधानी बरतेगा।

कार्डधारकों के लिए बीमा कवर

नीचे उल्लिखित बीमा कवर कार्ड के प्रकार के आधार पर लागू होंगे। कृपया लागू बीमा कवर के लिए स्वागत पुस्तिका देखें।

हवाई दुर्घटना कवर: हवाई दुर्घटना तभी वैध है जब एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल घटना से कम से कम 90 दिन पहले किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या एटीएम में नकद निकासी के लिए किया गया हो और हवाई टिकट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया हो। कार्डधारक का नामित व्यक्ति हवाई दुर्घटना बीमा पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी राशि का हकदार नहीं होगा, जब तक कि एक्सिस बैंक के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता। बकाया राशि को समायोजित करने के लिए बीमा राशि पर पहला प्रभार/ग्रहणाधिकार एक्सिस बैंक का होगा।
नोट: 31 अक्टूबर 2022 से हवाई दुर्घटना कवर बंद कर दिया गया है।

ज़ीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी: धोखाधड़ी वाले खरीद लेनदेन के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध है, जो कार्डधारक द्वारा एक्सिस बैंक को कार्ड खोने की रिपोर्ट किए जाने के समय से रिपोर्टिंग अवधि से 30 दिन पहले कवर की जाती है। यह कवर केवल धोखाधड़ी वाले भुगतान लेनदेन के लिए वैध है और इसके लिए अनिवार्य रूप से एफआईआर की आवश्यकता होती है। यह बीमा कवर एटीएम और पिन/पासवर्ड/ओटीपी/एमपिन/सीवीवी आधारित लेनदेन के लिए मान्य नहीं है।

खरीद सुरक्षा: क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदारी के 90 दिनों के भीतर आग या चोरी से सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज कराना होगा। ग्राहक की ओर से की गई घोर लापरवाही के कारण नुकसान होने पर कवर नहीं किया जाएगा। आभूषण और अन्य खराब होने वाले उत्पाद कवर नहीं किए जाते हैं।

मूल्य संरक्षण: यह कवर किसी वस्तु के लिए एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान की गई कीमत और उसी वस्तु (समान ब्रांड, मेक, मॉडल नाम और/या नंबर) के लिए विज्ञापित कम कीमत के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति करेगा। कवर केवल अमेज़न, फ्लिपकार्ट या प्रतिष्ठित ऑनलाइन खरीद साइट के लिए लागू होगा, जिसका मूल खरीद मूल्य 2500 रुपये से अधिक है। कम कीमत उसी ई-कॉमर्स कंपनी पर होनी चाहिए, मुद्रित विज्ञापन खरीद के 3 दिनों के भीतर प्रकाशित होना चाहिए और दावा सूचना मुद्रित विज्ञापन के 7 दिनों के भीतर होनी चाहिए। (इस सुविधा के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए बैंक से संपर्क करें)

क्रेडिट शील्ड: आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में कार्ड पर बकाया एक विशिष्ट राशि तक का कवर प्रदान करता है।

चेक-इन बैगेज में देरी: विदेश यात्रा के दौरान सामान मिलने में 6 घंटे से अधिक की देरी होने पर बुनियादी ज़रूरतों के लिए आवश्यक वस्तुओं की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है। यह सुविधा केवल एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई फ्लाइट टिकट पर ही मान्य है। चेक-इन बैगेज का अर्थ है, बीमित व्यक्ति द्वारा सौंपा गया सामान, जिसे भारत के बाहर किसी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन्स/वाहक द्वारा उसी प्रकार परिवहन के लिए स्वीकार किया जाता है, जिस प्रकार से बीमित व्यक्ति यात्रा करता है, तथा जिसके लिए वाहक ने बैगेज रसीद जारी की है।

चेक-इन बैगेज का नुकसान: विदेश यात्रा के मामले में बैगेज की हानि या क्षति को कवर किया जाता है। यह सुविधा केवल एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई फ्लाइट टिकट पर ही मान्य है। चेक-इन बैगेज का अर्थ है, बीमित व्यक्ति द्वारा सौंपा गया सामान, जिसे भारत के बाहर किसी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन्स/वाहक द्वारा उसी प्रकार परिवहन के लिए स्वीकार किया जाता है, जिस प्रकार से बीमित व्यक्ति यात्रा करता है, तथा जिसके लिए वाहक ने बैगेज रसीद जारी की है।

यात्रा दस्तावेज़ों का खो जाना: विदेश यात्रा के दौरान खोए हुए पासपोर्ट/अन्य यात्रा दस्तावेज़ों के लिए आवेदन शुल्क सहित पासपोर्ट प्राप्त करने में होने वाली लागतों को कवर करता है। यह सुविधा केवल एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई फ्लाइट टिकट पर ही मान्य है।

के) डिफ़ॉल्ट

1) डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, अर्थात् यदि देय न्यूनतम राशि का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है या कार्ड सदस्य अनुबंध के किसी भी खंड का उल्लंघन होता है, तो कार्डधारक को समय-समय पर डाक, फैक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस संदेश और/या बकाया राशि एकत्र करने के लिए नियुक्त तीसरे पक्ष के माध्यम से अनुस्मारक भेजे जाएंगे। इस तरह नियुक्त कोई भी तीसरा पक्ष भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के ऋण वसूली कोड का पालन करेगा।

2) भुगतान की देय तिथि से 3 दिन की छूट अवधि ग्राहकों को दी जाएगी, जहाँ भुगतान अतिदेय नहीं है। यह सुविधा भुगतान के प्रसंस्करण समय को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती है, लेकिन ग्राहक को क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में उल्लिखित भुगतान देय तिथि तक अपना बकाया चुकाना होगा।

3) बैंक क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट कार्ड खाते को 'अतीत में देय' के रूप में रिपोर्ट करेगा और जब क्रेडिट कार्ड खाता 3 दिनों से अधिक समय तक 'अतीत में देय' रहता है तो विलंब भुगतान शुल्क लगाएगा। तथापि, 'देय दिनों' की संख्या और विलंबित भुगतान शुल्क की गणना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में उल्लिखित भुगतान देय तिथि से की जाएगी।

4) यदि कार्डधारक कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो बैंक अपने विवेकानुसार निम्नलिखित का हकदार होगा:

a. कार्डधारक को दी जाने वाली सभी क्रेडिट कार्ड सुविधाएँ वापस लेना।

b. कार्डधारक से उसके कार्ड पर बकाया सभी राशि का तुरंत भुगतान करने के लिए कहना।

c. बैंक के पास कार्डधारक के नाम से रखे गए किसी भी धन/जमा/खाते के विरुद्ध बकाया राशि को ग्रहणाधिकार में लेने और सेट-ऑफ करने के बैंक के अधिकार का प्रयोग करना।

5) डिफॉल्ट के मामले में, बैंक डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट को क्रेडिट सूचना ब्यूरो या कानून द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसियों को अग्रेषित कर सकता है। भुगतान की देय तिथि और बिलिंग स्टेटमेंट पर दर्शाई गई बिलिंग तिथि के बीच की अवधि को कार्डधारक को डिफ़ॉल्टर के रूप में रिपोर्ट करने के लिए नोटिस अवधि माना जाता है।

6) चूक रिपोर्ट वापस लेने की प्रक्रिया तथा वह अवधि जिसके भीतर बकाया राशि के निपटान के बाद चूक रिपोर्ट वापस ली जाएगी :

*बैंक कार्डधारक का डेटा महीने में दो बार (साइकिल डेट रिपोर्टिंग और महीने के अंत में रिपोर्टिंग) CIBIL - क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को CIBIL द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करता है। इस डेटा में पिछले महीने के सभी कार्डधारकों, डिफॉल्टर और चालू दोनों की पुनर्भुगतान स्थिति शामिल है। CIBIL अगले तीस दिनों में प्रस्तुत डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड करता है।

यदि ग्राहक समझौता निपटान का विकल्प चुनता है या ऐसे मामलों में खाते को बट्टे खाते में डाल दिया गया है, तो सीआईसी को क्रमशः निपटान और बट्टे खाते में डाल दिया गया के रूप में अपडेट किया जाएगा।

5) कार्डधारक की मृत्यु/स्थायी रूप से अक्षम हो जाने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली : संपूर्ण बकाया राशि (बिना बिल वाले लेनदेन सहित) तुरंत बकाया हो जाएगी और एक्सिस बैंक को देय होगी। एक्सिस बैंक कार्डधारक की संपत्ति से कुल बकाया राशि वसूलने का हकदार होगा। बैंक, कार्डधारक के नाम से बैंक में रखे गए धन/जमा/खातों से कुल बकाया राशि वसूलने का भी हकदार होगा।

6) किसी क्रेडिट कार्ड के बंद होने की स्थिति में, यदि कार्ड में क्रेडिट बैलेंस है, तो कार्ड को CIC में 'बंद' के रूप में अपडेट नहीं किया जाएगा। केवल वे क्रेडिट कार्ड जो शून्य बैलेंस के साथ बंद हैं, उन्हें CIC को 'बंद' के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

एल) प्रकटीकरण

एक्सिस बैंक आरबीआई द्वारा अधिकृत क्रेडिट ब्यूरो के साथ गठजोड़ कर सकता है और आपकी वर्तमान शेष राशि, भुगतान इतिहास, जनसांख्यिकीय विवरण आदि सहित क्रेडिट जानकारी साझा करेगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। क्रेडिट ब्यूरो इस बारे में कोई राय, संकेत या टिप्पणी नहीं देते हैं कि क्रेडिट दिया जाना चाहिए या नहीं। क्रेडिट ब्यूरो के साथ, ज़िम्मेदार ग्राहक क्रेडिट अनुदानकर्ताओं से बेहतर शर्तों पर तेज़ और अधिक प्रतिस्पर्धी सेवाओं की उम्मीद कर सकते हैं। ग्राहकों द्वारा डिफ़ॉल्ट क्रेडिट ब्यूरो के पास उपलब्ध होगा जो बदले में भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आपकी क्रेडिट योग्यता को प्रभावित करेगा। कार्डधारक स्वीकार करता है कि एक्सिस बैंक कार्डधारक/एड-ऑन कार्डधारक (कार्डधारकों) से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत है, जिसमें कार्डधारक द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में की गई किसी भी डिफ़ॉल्ट से संबंधित जानकारी शामिल है, जैसा कि एक्सिस बैंक उचित और आवश्यक समझे, किसी भी मौजूदा या अन्य क्रेडिट ब्यूरो के साथ, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, ऐसे क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी प्रकट करने के लिए एड-ऑन कार्डधारक (कार्डधारकों) की सहमति आवश्यक है। ऐसी संस्थाएँ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और

अन्य ऋणदाताओं को संसाधित जानकारी या डेटा या उसके उत्पाद उपलब्ध करा सकती हैं। क्रेडिट ब्यूरो में क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट संदर्भ एजेंसियाँ, क्रेडिट सूचना कंपनियाँ या आरबीआई द्वारा उधारकर्ताओं से संबंधित क्रेडिट जानकारी एकत्र करने, मिलान करने और प्रसारित करने के उद्देश्य से गठित और अधिकृत कोई अन्य संस्था शामिल है।

यदि कार्डधारक एक्सिस बैंक / उसके सहयोगियों / सहायक कंपनियों / एजेंटों से कोई प्रत्यक्ष विपणन या टेली कॉलिंग / टेलीसेल्स कॉल प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो कार्डधारक 'ट्राई' वेबसाइट पर दिए गए विवरण के अनुसार 'प्रदाता ग्राहक वरीयता रजिस्टर' में पंजीकरण करके बाहर निकल सकता है।

एक्सिस बैंक अन्य मर्चेंट/कॉरपोरेट के साथ संयुक्त रूप से सह-ब्रांड क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। इस व्यवस्था के तहत बैंक भागीदार मर्चेंट/कॉरपोरेट के साथ राजस्व/शुल्क साझा कर सकता है। ग्राहक बैंक को स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं कि वे उनके द्वारा बैंक के साथ साझा की गई जानकारी को माइल्स एंड मोर, विस्तारा एयरलाइंस, सैमसंग, स्पाइसजेट के साथ साझा करें और प्रकट करें, जो नामांकन, कार्ड फीचर पूर्ति, विपणन, प्रचार गतिविधियों और बेनिफ़िट रिडम्पशन के उद्देश्य से सह-ब्रांड भागीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जैसे कि एक्सिस बैंक माइल्स एंड मोर वर्ल्ड सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक माइल्स एंड मोर वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक विस्तारा इनफिनिट क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक विस्तारा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक विस्तारा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, सैमसंग एक्सिस बैंक इनफिनिट क्रेडिट कार्ड, सैमसंग एक्सिस बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, स्पाइसजेट एक्सिस बैंक वॉयेज ब्लैक क्रेडिट कार्ड, स्पाइसजेट एक्सिस बैंक वॉयेज क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड पर लागू होगा। सह-ब्रांड साझेदार माइल्स एंड मोर, विस्तारा एयरलाइंस, सैमसंग, स्पाइसजेट और शॉपर्स स्टॉप हैं।

एक्सिस बैंक विभिन्न प्रकार की सुविधाओं और लाभों के साथ क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। इसके प्रावधान के लिए, एक्सिस बैंक अनुबंध के आधार पर विभिन्न सेवा प्रदाताओं को नियुक्त करता है, ताकि कार्डधारक को वाउचर / छूट / कैशबैक /सदस्यता/बीमा विकल्प जैसे कार्ड सुरक्षा योजना, क्रेडिट शील्ड, स्वास्थ्य योजना आदि के रूप में उत्पाद सुविधाएँ/लाभ/अन्य मूल्य वर्धित सेवाएँ प्रदान की जा सकें। कार्डधारकों ने नामांकन, कार्ड सुविधा पूर्ति, विपणन, प्रचार गतिविधियों और लाभ मोचन के उद्देश्य से एक्सिस बैंक के अधिकृत सेवा प्रदाताओं के साथ कार्डधारक की व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी ("व्यक्तिगत डेटा") सहित

व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करने, एकत्र करने, संसाधित करने, रिकॉर्ड करने, साझा करने और प्रकट करने के लिए एक्सिस बैंक को स्पष्ट रूप से सहमति दी है और अधिकृत किया है। कार्डधारक समझता है और सहमत है कि ऐसी सहमति सभी लागू क्रेडिट कार्डों के लिए मान्य होगी, जैसे कि एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक माय ज़ोन क्रेडिट कार्ड, इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक इनफिनिट रिज़र्व क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक मैग्नस क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक प्राइड क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक एडवांटेज क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक ऑरा क्रेडिट कार्ड।

एक्सिस बैंक, बीमा कंपनियों के साथ गठजोड़ करके, खोए हुए कार्ड, कार्ड धोखाधड़ी आदि से उत्पन्न होने वाली देनदारियों की देखभाल के लिए एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ बीमा कवर प्रदान करता है ("बीमा कवर")। यदि कार्डधारक एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसे किसी भी बीमा कवर का लाभ उठाने का विकल्प चुनना चाहता है, तो कार्डधारक नीचे दिए गए नियमों और शर्तों को पढ़ने, समझने और उनसे सहमत होने की पुष्टि करता है :

i. कार्डधारक एक्सिस बैंक को अपने व्यक्तिगत डेटा को एक्सिस बैंक के अधिकृत सेवा प्रदाताओं और/या टाई-अप बीमा कंपनियों के साथ साझा करने के लिए स्पष्ट सहमति प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य कार्डधारक के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर प्रासंगिक बीमा कवर की पेशकश करने और ऐसे बीमा कवर का लाभ उठाने के लिए कार्डधारक के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करना है (“उद्देश्य”)।

ii. एक्सिस बैंक कार्डधारक की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी व्यक्तिगत डेटा केवल एक्सिस बैंक के अधिकृत सेवा प्रदाताओं और/या टाई-अप बीमा कंपनियों के साथ लागू डेटा सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अनुसार साझा किया जाएगा। एक्सिस बैंक और इसके अधिकृत सेवा प्रदाता/टाई-अप बीमा कंपनियाँ इस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत डेटा साझा करते समय व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय लागू करेंगी।

iii. एक्सिस बैंक पुष्टि करता है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस उद्देश्य के लिए ऐसी कॉलिंग की आवृत्ति उचित होगी और प्रासंगिक विनियमों के अनुपालन में होगी। एक्सिस बैंक कार्डधारक को बिना किसी असुविधा के मूल्यवान जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है।

iv. एक्सिस बैंक इन नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी परिवर्तन की सूचना कार्डधारक को उचित माध्यम से दी जाएगी।

कार्डधारक को सूचित किया जाता है कि यद्यपि क्रेडिट कार्ड अनुमोदन में लगने वाला समय अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आवेदन की तिथि से क्रेडिट कार्ड डिलीवरी की अवधि 14 दिन होगी।

कार्डधारक स्वीकार करता है कि उसने क्रेडिट कार्ड आवेदन में अपने नाम से पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रदान किया है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि क्रेडिट कार्ड आवेदन के दौरान प्रदान किया गया मोबाइल नंबर कार्डधारक के नाम पर पंजीकृत नहीं है, तो वह क्रेडिट कार्ड पर मोबाइल नंबर के माध्यम से की गई किसी भी गतिविधि / लेनदेन के लिए उत्तरदायी और ज़िम्मेदार होगा।

एक्सिस बैंक बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (BCSBI) का सदस्य है। BCSBI कोड के तहत हमारी प्रतिबद्धताओं को देखने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट के होमपेज पर जाएँ।

एम) मध्यस्थता खंड

इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या प्रश्न, या किसी भी तरह से इनसे संबंधित या इनके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के संबंध में या इसके तहत पक्षों के अधिकार, दायित्व और देनदारियों के संबंध में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों या इसके किसी वैधानिक संशोधन के अनुसार ऋणदाता/बैंक द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ द्वारा आयोजित मध्यस्थता के लिए भेजे जाएँगे और उनका निपटारा किया जाएगा, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति की मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की मृत्यु, अनिच्छा, इनकार, उपेक्षा, अक्षमता या अयोग्यता की स्थिति में, ऋणदाता/बैंक एकमात्र मध्यस्थ होने के लिए एक नया मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। मध्यस्थ को निर्णय के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी तथा मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही केवल मुंबई में ही होगी।

एल) निषेध खंड

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग इंटरनेट पर या अन्य किसी माध्यम से, लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या निषिद्ध पत्रिकाओं, स्वीपस्टेक में भागीदारी, कॉल बैक सेवाओं के लिए भुगतान, और/या ऐसी वस्तुओं/गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है।

ओ) FEMA (फेमा - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम)

i) भारत के बाहर लेनदेन के लिए कार्ड का उपयोग लागू कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 शामिल हैं, और ऐसा करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, आप दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

ii) क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक / इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से विदेशी विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। नियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार यह निषिद्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ।

iii) यह कार्ड भारत के साथ-साथ विदेश में भी उपयोग के लिए वैध है। हालाँकि, यह नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए मान्य नहीं है।

iv) एनआरआई ग्राहकों के लिए 100% भुगतान अनिवार्य रूप से एक्सिस बैंक एनआरई खाते से ऑटो पे मोड के माध्यम से किया जाना चाहिए।

v) एनआरआई ग्राहकों के लिए नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पी) कार्ड खाते में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन

1) बैंक उन ग्राहकों को एटीएम से नकदी निकासी के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा नहीं देगा जो बैंक को वैध मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं कराते हैं।

2) यदि ग्राहक को उपलब्ध कराए गए किसी भी विवरण/रिकॉर्ड पर लेनदेन/शेष के विवरण में कोई विसंगतियाँ मौजूद हैं, तो ग्राहक को सात (7) दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप से सूचित करना होगा।

3) यदि बैंक को सात (7) कार्य दिवसों से परे कोई भी विपरीत सूचना प्राप्त होती है, तो ग्राहक की देयता बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4) आपके निर्देशों और ऐसे अन्य विवरणों के सभी रिकॉर्ड (जिनमें किए गए या प्राप्त किए गए भुगतान शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) जो बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेज़ी रूप में यहाँ दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार बनाए रखे गए हैं, आपके विरुद्ध ऐसे निर्देशों और ऐसे अन्य विवरणों के निर्णायक साक्ष्य माने जाएँगे।

5) रिपोर्टिंग के समय और/या खाते पर किए गए लेन-देन या उक्त खाते से संबंधित किसी अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, बैंक विवादित लेनदेन के समय और/या प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा और तीसरे पक्ष के धोखाधड़ी के कारण आपके कार्ड खाते में अनधिकृत लेनदेन के मामले में या जहाँ आपने धोखाधड़ी में योगदान नहीं दिया है, वहाँ आपका दायित्व "ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता" पर आरबीआई परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित होगा। समय-समय पर संशोधित नियमों में कोई भी बदलाव उस समय लागू और बाध्यकारी होगा।

6) ग्राहक सेवा / ग्राहक निवारण संपर्क विवरण के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.axisbank.com/support देखें

क्यू) सुरक्षित क्रेडिट कार्ड

1) सावधि जमा, सुरक्षित क्रेडिट कार्ड या बैंक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य सुविधा के तहत ग्राहक से बैंक को देय सभी धनराशियों के अंतिम शेष के लिए सतत सुरक्षा के रूप में कार्य करेगा।

2) चूक या ऋण सुविधा या मांग पर वापस नहीं की गई सुविधाओं के मामले में, बैंक सावधि/सावधि जमा को समय से पहले भुनाने या किसी भी समय प्रस्तावित या धारित प्रतिभूतियों/सावधि या सावधि जमा को सेट ऑफ या बढ़ाने या बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर उन्हें हस्तांतरित/सौंपने या पुनः सौंपने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है और अपनी किसी भी शाखा के बैंक के खाते में ग्राहक की देनदारियों के निर्वहन के लिए शुद्ध राशि को विनियोजित कर सकता है।

3) बैंक को अपने विवेकानुसार ग्राहक की पात्रता के आधार पर सुरक्षित क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सावधि जमा से ग्रहणाधिकार हटाने का अधिकार है।

आर) विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण

विनियामक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, ऋणदाताओं को डिफ़ॉल्ट होने पर तुरंत उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को पहचानना आवश्यक है, तथा उन्हें विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करना होगा। उधारकर्ता खातों का एसएमए तथा एनपीए के रूप में वर्गीकरण, प्रासंगिक तिथि के लिए डे-एंड प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा तथा एसएमए या एनपीए वर्गीकरण तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी, जिसके लिए डे-एंड प्रक्रिया चलाई जाती है। तदनुसार, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में खाते की स्वीकृति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी। इस तरह के वर्गीकरण का एक उदाहरण इस प्रकार है :

- एसएमए 0 - यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और इस तिथि को पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो खाता 31 मार्च, 2021 के अंत में एसएमए 0 हो जाएगा।
- एसएमए 1 - यदि यह लगातार अतिदेय बना रहता है, तो यह खाता लगातार अतिदेय रहने के 30 दिन पूरे होने पर यानी 30 अप्रैल, 2021 को एसएमए-1 के रूप में टैग हो जाएगा।
- एसएमए 2 - यदि खाता लगातार अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को एसएमए-2 के रूप में टैग कर दिया जाएगा
- एनपीए - यदि खाता आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खातों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण उधारकर्ता के आधार पर किया जाता है, न कि सुविधा के आधार पर। इसलिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक से प्राप्त किसी भी सुविधा के मामले में ग्राहक द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में और परिणामस्वरूप खाते को एनपीए के रूप में

वर्गीकृत किया जाता है, उधारकर्ता/कार्ड धारक के बैंक के साथ अन्य सभी ऋण/क्रेडिट कार्ड और खाते भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाएँगे और यह बैंक को ऐसे खातों में नियमित भुगतान के बावजूद बैंक से लिए गए ऐसे सभी ऋण/क्रेडिट कार्ड/सुविधाओं को वापस लेने का अधिकार देगा।

एस) क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों की जानकारी के लिए कृपया www.axisbank.com पर जाएँ, उपलब्ध विकल्प हैं 1) मराठी 2) हिंदी 3) बांग्ला 4) गुजराती 5) मलयालम 6) तमिल 7) तेलुगु 8) कन्नड़

कार्ड धारक इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि www.axisbank.com पर क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम और शर्तें, अंग्रेजी संस्करण का प्रतिनिधि पाठ है।

कार्ड धारक इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराए गए पाठ के बीच किसी भी असंगति/विसंगति की स्थिति में, उसका अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा और कार्ड धारक के लिए बाध्यकारी होगा।

एमआईटीसी के लिए लिंक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं :

मराठी -

हिंदी -

बांग्ला -

गुजराती -

मलयालम -

तमिल -

तेलुगु -

कन्नड़ -

अस्वीकरण :

बैंक, उसके कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जिसमें राजस्व, लाभ, व्यवसाय, अनुबंध, प्रत्याशित बचत या सद्भावना की हानि, सॉफ्टवेयर सहित किसी भी उपकरण के उपयोग या मूल्य की हानि, चाहे पूर्वानुमानित हो या न हो, शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो उपयोगकर्ता या किसी भी व्यक्ति को हुई हो, जो अनुरोध प्राप्त करने और संसाधित करने और प्रतिक्रियाओं को तैयार करने और वापस करने में बैंक की किसी भी देरी, रुकावट, निलंबन, समाधान या त्रुटि से उत्पन्न या उससे संबंधित हो या उपयोगकर्ता के दूरसंचार उपकरण और किसी भी सेवा प्रदाता के नेटवर्क और बैंक की प्रणाली से किसी भी सूचना या संदेश के संचरण में किसी भी विफलता, देरी, रुकावट, निलंबन, प्रतिबंध या त्रुटि से उत्पन्न हो या उपयोगकर्ता के दूरसंचार उपकरण, बैंक की प्रणाली या किसी भी सेवा प्रदाता के नेटवर्क और/या किसी तीसरे पक्ष जो ऐसी सेवाएँ प्रदान करता है जो सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक है, की किसी भी तरह की खराबी, रुकावट, निलंबन या विफलता से उत्पन्न हो। एक्सिस बैंक अपने विवेकानुसार, अपने उत्पादों के संबंध में बाह्य सेवा प्रदाता/प्रदाताओं या एजेंट/एजेंटों की सेवाओं का उपयोग, अपेक्षित या आवश्यक शर्तों पर कर सकता है।

• एक्सिस बैंक 21 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन पत्र की स्थिति की जानकारी देगा

• एक्सिस बैंक कभी भी किसी डील, उपहार, वाउचर, रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडेम्प्शन, कार्ड के एक्टिवेशन या कैंसलेशन के लिए कार्ड CVV, पिन, OTP या इंटरनेट पासवर्ड नहीं मांगेगा। कृपया कॉल/ईमेल पर ऐसे अनुरोधों को अनदेखा करें। किसी भी पत्राचार से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर एक्सिस बैंक के संपर्क नंबर की पुष्टि करें।

• कृपया किसी भी ऑनलाइन/ई-कॉम लेनदेन को शुरू करने से पहले वेबसाइट और/या पोर्टल की प्रामाणिकता सुनिश्चित करें। उन फ़र्ज़ी वेबसाइटों से सावधान रहें जो आपके पैसे ठग लेती हैं।

• बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड ग्राहक के निजी उपयोग के लिए है। बैंक किसी तीसरे पक्ष की ओर से या उसके लाभ के लिए किए गए लेनदेन को प्रोत्साहित या समर्थन नहीं करता है।

• अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए मर्चेंट रिफंड/विवादों के मामले में, मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दर अंतर को ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा।

समाप्त

संपर्क चैनल

ग्राहक सेवा

18605005555 या 18604195555 (शुल्क लागू) या 18001035577 (टोल-फ्री) भारत में किसी भी लैंडलाइन या सेल फोन से उपलब्ध

ACE क्रेडिट कार्ड के लिए: 18604191919 (शुल्क लागू)

बरगंडी प्राइवेट कार्ड के लिए: 18002108888 (शुल्क लागू)

प्रीमियम कार्ड के लिए : विस्तारा इनफिनिट, रिज़र्व, सेलेक्ट, एटलस, माइल्स एंड मोर, वर्ल्ड सिलेक्ट और इनफिनिट, कृपया संपर्क करें: 1800 419 0065

+91-22-27648000 भारत के बाहर से सुलभ

ई-मेल आईडी : axisbank.com/support
एसीई क्रेडिट कार्ड के लिए ई-मेल आईडी : service.acecard@axisbank.com

एलआईसी कार्ड के लिए : 18004190064
कृपया बैंक को ईमेल करने के लिए यहाँ क्लिक करें : axisbank.com/support

शिकायत निवारण / वृद्धि

सेवा में,

श्री अशोक सुनार, नोडल अधिकारी

पता : एक्सिस बैंक लिमिटेड, एनपीसी1, 5वीं मंजिल, गीगाप्लेक्स, प्लॉट नंबर आई.टी.5. एमआईडीसी. ऐरोली नॉलेज पार्क, ऐरोली, नवी मुंबई 400708 ई-मेल आईडी: nodal.officer@axisbank.com, फोन: 91-080-61865200. समय: सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)

सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (शनिवार) बैंकिंग अवकाश को छोड़कर

शिकायत निवारण अधिकारी-डिजिटल ऋण

नाम : श्री आशीष राजपूत

पदनाम : सहायक उपाध्यक्ष
पता : एक्सिस बैंक लिमिटेड, एनपीसी 1, 5वीं मंजिल, गीगाप्लेक्स, प्लॉट नंबर आई.टी.5. एमआईडीसी. ऐरोली नॉलेज पार्क, ऐरोली, नवी मुंबई 400708

संपर्क नम्बर : 8061865200
समय : सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक अवकाश को छोड़कर)।
ई-मेल आईडी : nodal.officer@axisbank.com

किसी भी शिकायत में लागू कोई भी मुआवज़ा बैंक की मुआवज़ा नीति के अनुसार प्रदान किया जाएगा, जो https://www.axisbank.com/docs/default-source/default-document-library/Customer-Compensation-Policy.pdf पर उपलब्ध है।

O002504829_05_24

समाप्त